उन्नति विचार

वर्ष : 10 अंक : 1 जनवरी-मार्च, 2005

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
गुजरात में अन्न सुरक्षा अभियान

नज़रिया
हिन्दू उत्तराधिकार कानून में सूचित सुधार: स्त्री-पुरुष समानता अभी दूर है 16

आपके लिए
गुजरात का बजट: कुछेक सामाजिक पहलू 19

अपनी बात 24
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन: सामाजिक भेदभाव के विषय में जागरूकता कार्यक्रम

'एकल नारी शक्ति मंच' का आंदोलन 30

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 32

संदर्भ सामग्री 39

अपने बारे में 42

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

अन्न सुरक्षा : सबके लिये सबके द्वारा

दुनिया भर में लगभग ८० करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जीते हैं और उनमें सबसे ज्यादा गरीब भारत में हैं। वे गरीब होने के कारण ही अन्न सुरक्षा नहीं भोग पाते। विकास आर्थिक रहा है, सामाजिक नहीं बना। अन्न क्षेत्र की यह असुरक्षा वास्तव में यह साबित कर रही है कि विकास की प्रक्रिया सामाजिक विकास करने में निष्फल रही है। अन्न सुरक्षा दो बातों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है : असहाय लोग और अकाल, भूकंप तूफान व बाढ़ जैसी आपात् परिस्थितियों में बढ़ती जाती असहाय लोगों की असहायता। कहा जाता है कि भुखमरी भारत के ज्यादा प्रदेशों में नहीं, और जिन प्रदेशों में है वहां भी बहुत कम मात्रा में है। परंतु अन्न असुरक्षा के कारण होने वाली मौतें तत्काल नजर में आ जाएं, ऐसा नहीं होता। स्वास्थ्य की बिगड़ती हुई हालत अन्न असुरक्षा के कारण होती है और यह मौत की गति को धीमा कर देती है। गरीबों का अस्तित्व टिकाने की व्यूहरचना में किसी भी तरह की खास सामग्री का समावेश होता है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक यांत्रिकीकरण होने के कारण और बाजार-केन्द्री अर्थतंत्र विकसित होने से अन्न प्राप्ति के औपचारिक स्रोत घट गये हैं और इस कारण गरीबों पर विपरीत असर हुआ है।

इस परिस्थिति में गरीबों हेतु अन्न सुरक्षा निर्मित करने के लिए अधिकार-आधारित अभियान चलाने की जरूरत है। अन्न प्राप्त हो, इसके लिए गरीबों की पहुँच क्षमता बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ अन्न प्राप्ति में वृद्धि होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, काम के बदले अनाज जैसी अनेक योजनाओं तथा बालवाड़ी, आंगनवाड़ी जैसे कार्यक्रमों में सरकार बड़ी मात्रा में खर्च करती हैं। परंतु इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ अन्न की असुरक्षा भोगने वाले लोगों तक नहीं पहुँचता। अतः अन्न सुरक्षा देने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय संदर्भ शामिल किया जाना जरूरी है। अन्न सुरक्षा के लिए कोई एक रूपी व्यूहरचना नहीं हो सकती। स्थानीय स्तर पर प्राप्ति और स्थानीय स्तर पर वितरण एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। सरकारी कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूँ और चावल पर केन्द्रित है, पर उनमें बाजरी, मक्की, ज्वार इत्यादि धान्य शामिल किये जाने जरूरी हैं। तभी इन कार्यक्रमों को स्थानीय संदर्भ प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में दालभात योजना और महाराष्ट्र में झुनका भाकर केन्द्र योजना तैयार अन्न परोसने वाली अत्यंत सक्षम व सफल योजनाएं चल रही हैं। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं। राज्य को इस क्षेत्र में उदात्त दानी प्रवृत्ति को भी इतना ही समर्थन देने की जरूरत है। मूलभूत रूप से अन्न सुरक्षा की योजनाओं और कार्यक्रमों को विकेन्द्रित पद्धति से चलना चाहिए और कम से कम ये योजनाएं भ्रष्टाचार से मुक्त हों, ऐसी प्रतिबद्धता सभी स्तरों पर निर्मित होनी चाहिए।

गुजरात में अन्न सुरक्षा अभियान

यह लेख 'गुजरात अन्न सुरक्षा अभियान' हेतु 'आनंदी' की **सुश्री सुमित्रा ठक्कर** द्वारा तैयार किया गया है। इस अभियान में 'पर्यावरण शिक्षण केन्द्र' 'ग्राम विकास ट्रस्ट' द्वारका, 'सावा राज' जसदण, 'नवजोत महिला विकास केन्द्र' गढड़ा, 'जनपथ' और 'आनंदी' सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

सुरक्षित व पोषक आहार प्रत्येक मानव का बुनियादी अधिकार है। भारत एक ओर अन्न उत्पादन में स्वावलंबी बना है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के आहार में पौष्टिकता की मात्रा नहीं बढ़ी। किसी भी देश के विकास के मापदंड उस देश के वंचित समुदाय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए होते हैं न कि देश की स्थूल सफलता या सिद्धि के आधार पर!

विकास और गरीबी उन्मूलन दोनों साथ-साथ नहीं चलते। संभव है कि कोई एक देश विकसित हो जाए या विकास हासिल कर ले, फिर भी उसकी आबादी का जो भाग गरीब है उसकी दशा में कोई भी फर्क न पड़े। दूसरी ओर यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी देश व्यापक परिप्रेक्ष्य में विकास हासिल न करे तो गरीबी उन्मूलन के ध्येय की तरफ नहीं जा सकता। ये दोनों परस्पर जुड़ी हुई बातें हैं।

एफ. ए. ओ. (फूड एंड एग्रीकल्चरल आर्गेनाईजेशन) की व्याख्या के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ एवं सक्रिय जीवन जीने हेतु अपनी इच्छानुसार पर्याप्त, सुरक्षित व पोषक आहार संबंधी भौतिक व आर्थिक सम्प्राप्ति, अर्थात् अन्न सुरक्षा। यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि ये सब उसे सम्मान के साथ मिलें।

ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अनुभवों में हमेशा देखने में आया है कि गरीब से गरीब समुदाय की महिलाओं ने अपनी गरीबी को कभी 'अन्न नहीं, भूखी हैं' - ऐसे शब्दों में वर्णित नहीं किया। पर इसी समस्या को प्रायः रोजगार मिले, काम के बदले अनाज मिले, ऐसे शब्दों में व्यक्त किया है। बहनों की इन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता गया कि गरीबी और आजीविका की अनिश्चितता के कारण भुखमरी धीमे-धीमे स्थायी हो रही है। इसमें ठोस प्रयत्नों की गैरहाजरी और परिस्थिति में परिवर्तन लाने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव बुनियादी समस्या की तीव्रता को बढ़ाते हैं।

एम. एस. स्वामीनाथन् रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई द्वारा प्रकाशित ग्रामीण अन्न सुरक्षा एटलस यह दर्शाता है कि गुजरात में पंचमहाल (अविभाजित) जिला सबसे अधिक अन्न असुरक्षित जिला है, साथ ही तूफान और विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में भी यही स्थिति है।

गुजरात की अन्न असुरक्षा दर्शाने वाली कई चौंकाने वाली बातें देखें तो ज्ञात होगा कि गुजरात में २०.४ प्रतिशत आबादी रोजमर्रा की कैलोरी की वांछित मात्रा से भी कम मात्रा वाला आहार लेती है। यह देश की १३.४ प्रतिशत आबादी की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो गुजरात की पांचवें भाग की आबादी को अपने आहार में से जीने हेतु पर्याप्त शक्ति नहीं मिलती। गुजरात के ७ प्रतिशत बालक तीव्र कुपोषण और ४४ प्रतिशत बालक मध्यम कुपोषण के शिकार बने हैं। विकसित राज्य गिने जाने वाले गुजरात हेतु अन्न सुरक्षा के विषय में इससे अधिक चौंकाने वाली बात और क्या हो सकती है?

गुजरात में अन्न सुरक्षा हेतु मुख्यतया निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है :

- आबादी की मात्रा में अनाज का अपर्याप्त उत्पादन।
- सस्ते दर की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में पर्याप्त और जरूरतमंद परिवारों को शामिल न करना।
- ग्रामीण अर्थ व्यवस्था टूट गई है; जिसका प्रभाव इस क्षेत्र में रहने वाले ७० प्रतिशत लोगों पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से इतर कामों के नगण्य अवसर होने के कारण अधिकतर ग्रामीण

जनसंख्या कृषि मजदूरी पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता।

भूखमरी व कुपोषण निर्मूलन हेतु सार्वत्रिक घोषणा

१९४८ में 'संयुक्त राष्ट्र' द्वारा मानवाधिकार घोषणा में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है। इस अधिकार को धीरे-धीरे विकसित किया गया है।

रोम में १६ नवंबर, १९७२ में विश्व के प्रथम आहार सम्मेलन में घोषित किया गया था कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष व बालक को शारीरिक, मानसिक विकास हेतु भुखमरी व कुपोषण से मुक्ति पाने का अधिकार है।

आज मनुष्य के पास पर्याप्त टैक्नोलोजी है। विश्व के सभी देशों का उद्देश्य है भुखमरी की समाप्ति। इसके लिए भुखमरी व कुपोषण से पीड़ित लोग जो बीमारी के शिकार बनते हैं, ऐसे वर्ग को प्राथमिकता देनी जरूरी है।

विडम्बना यह है कि वैश्वीकरण की वजह से जो किसान और मजदूर वर्ग अन्न उत्पादन करता है, वही भुखमरी से पीड़ित है और मजदूर वर्ग बढ़ता जा रहा है, इस कारण स्थलांतरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है और किसान खर्चे के कारण कर्ज में डूब गए हैं। एक तरफ घोषणा की जाती है और दूसरी तरफ वैश्वीकरण व ढांचागत समायोजन के कारण खेती बाजार पर निर्भर हो रही है। इस वजह से भुखमरी की दशा दिनों-दिन गंभीर होती जा रही है।

रोम घोषणा पत्र - १९९६

१९९६ की रोम घोषणा विश्व अन्न सुरक्षा हेतु एक महत्त्व का साधन था। वह मुख्य रूप से खाद्यान्न की प्राप्ति के अधिकार पर अधिक बल देता है। भुखमरी से मुक्ति पाना मौलिक अधिकार है, अतः इस अधिकार को अन्न सुरक्षा हेतु फौरन लागू करना जरूरी है। इसके बाद विश्व खाद्यान्न सम्मेलन २००२ में २०१५ तक विश्व की भुखमरी की समस्या को घटा कर उसका लक्ष्य ८३.२ करोड़ से कम करके ४० करोड़ तक लाना है। इस घोषणा में भारत भी शामिल है।

राष्ट्रीय कानूनों में खाद्यान्न का अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा व्यवस्था में यदि भारत सहभागी हो तो भारत देश की जिम्मेदारी है कि अन्न के अधिकारों को देश में कानूनी रूप मिले। संसद सदस्यों की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय विधान को राष्ट्रीय स्तर के कानून में परिवर्तित करने की है। यदि इसके लिए कानून बनता है तो प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी।

मूलभूत आधिकार और अन्न की सुनिश्चितता

राज्य का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इस मूलभूत अधिकार के अनुच्छेद-२१ में कहा गया है कि जीने के अधिकार में अन्न और आजीविका का अधिकार समाहित है।

अन्न और रोजगार का अटूट संबंध है। सरकार इस संदर्भ में आजीविका के साधन और अन्न में सुरक्षा प्रदान न करे तो भारतीय

संविधान के अनुच्छेद-२१ के माध्यम से न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है।

अपने देश में यों देखें तो विगत वर्षों में अन्न का उत्पादन बहुत बढ़ा है। दिसंबर २००४ में अन्न भंडार ठसाठस भरे थे। उन्हें संभालने की समस्या भी खड़ी हो गई है। इसे निर्यात याने दूसरे देशों में बेचा जाता है। इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। जबकि भारत देश में तमाम नागरिकों के पेट का गड्ढा भरने के लिए आसानी से अनाज नहीं मिल पाता, यह कैसी विसंगति है ! अन्न उत्पादन में हम स्वावलंबी हैं अर्थात् पैरों पर खड़े हो जाने से तमाम लोगों तक पर्याप्त अनाज अपने आप नहीं पहुँच जाता। विश्व के कुल गरीबों में से २२ प्र.श. लोग भारत में रहते हैं। भारत में कुल आबादी के २६ प्र.श. गरीब हैं।

अन्न सुरक्षा तो तब कही जाएगी जब देश में नागरिकों की मांग जितना अनाज उत्पन्न हो और उसके भाव गरीबों को पोसाने जैसे हों।

अन्न सुरक्षा की व्यूहरचना

नागरिकों की मांग जितना अनाज उत्पादन हो और सबों को सुलभ हो, इसके लिए फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का तंत्र है। उसने तीन कार्यनीतियां अपनाई हैं :

(१) अनाज की प्राप्ति
(२) संग्रह
(३) वितरण व्यवस्था

(१) अनाज का उत्पादन बढ़ाना :

(अ) किसानों व उत्पादकों को पोषणक्षम भाव देकर उनके हितों की रक्षा करना।
(आ) हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि करना। वैसे पिछले दशक में उत्पादन में कमी आई है।

(२) वितरण व्यवस्था चुस्त बनाना :

- समाज के, विशेष रूप से दुर्बल वर्ग को वाजिब भाव से अनाज उपलब्ध कराना। इसमें लक्ष्यांक वाली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था १९९७ में अमल में आई है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों और गरीबी रेखा से ऊपर जीने वालों दोनों प्रकार के नागरिकों को अलग-अलग भाव से अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- पोषण आहार के लिए खाद्यान बांटा जाता है। इसमें मध्याह्न भोजन, समन्वित बाल विकास योजना जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं।
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में होने वाली दुर्नीति को रोकने के लिए आवश्यक चीज-वस्तु नियम (पी.डी.एस.) कंट्रोल आर्डर-२००१ घोषित किया गया है। उसमें अव्यवस्था रोकने हेतु आदेश की व्यवस्था है। उसके अनुसार -
  (१) गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों को अलग छांटना।
  (२) राशन कार्ड वितरित करना।
  (३) अनाज का समुचित वितरण।
  (४) इस नियम को भंग करने वाले को दंड देने की व्यवस्था।

(३) बाढ़ या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा के समय परिस्थिति का मुकाबला करने हेतु अनाज का आरक्षित भंडार रखना और सहेजना।

- स्वावलंबन से सुरक्षा तक
- बाढ़, अकाल या तूफान के शिकार बने लोगों को अनाज प्राप्ति हो इसके लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम जनवरी २००१ में घोषित किया गया था।
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु कितना अनाज दिया जाए यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार का है।

अप्रैल २००१ में भारत सरकार, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा संयुक्त मीटिंग में प्रधान मंत्री ने भारत में अन्न असुरक्षा का नक्शा जाहिर करते हुए कहा था कि २००७ तक हम भुखमरी से निश्चित रूप से मुक्ति पा सकेंगे।

भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने दिल्ली की राष्ट्रीय आहार सुरक्षा शिखर परिषद में अन्न संरक्षण के तीन

दृष्टिकोणों पर बल दिया था : एक, अन्न उपलब्धता, जो अन्न उत्पादन और अन्न वितरण पर आधारित है। दूसरे, अन्न उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति की अपनी संस्कृति, रहन-सहन, पोषण के संबंध में ज्ञान, आहार चयन, अन्य भौतिक पहलू (यथा जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता), तथा तीसरे, परिवार में परस्पर वितरण की व्यवस्था। प्राकृतिक व मानव सर्जित आफतों जैसे बाहरी परिबल वंचितता को अधिक सघन बनाते हैं। इस तरह, निरंतर ऐसी परिस्थिति के कारण उभरने वाली समस्याओं की वजह से परिवार में अन्न की असुरक्षा घर कर लेती है।

इस कार्यक्रम में १० बिन्दुओं के एक्शन प्लान को क्रियान्वित करने की सिफारिश की गई है :

- भूख व अपर्याप्त पोषण से पीड़ित व्यक्तियों व परिवारों को खोज निकालना।
- अधिकारों की सूचना का प्रसार।
- प्रोटीन, कैलोरी की न्यूनता से सृजित होने वाली प्रच्छन्न भुखमरी को दूर करना।
- सुरक्षित पेयजल और पर्यावरणीय स्वच्छता का विश्वास दिलाना।
- स्थायी आजीविका द्वारा क्रय शक्ति बढ़ाना।
- महिलाओं और बालकों पर विशेष ध्यान देना।
- आपदा निवारण तंत्र को विकास के साथ जोड़ना।
- कृषि उत्पादनों हेतु अधिक अनुकूल बाजार मिलता रहे, ऐसा विश्वास दिलाना।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

२००१ में पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) राजस्थान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि राजस्थान और उड़ीसा में भुखमरी के मामले सामने आये थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चला था। इस संदर्भ में राजस्थान तथा अन्य राज्यों में जन सुनवाई की गई। २००२ में सर्वोच्च न्यायालय ने उसके आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंत्योदय अन्य योजना, मातृत्व कल्याण योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना और राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना को अन्य सुरक्षा की आधारभूत योजना का दर्जा देते हुए इन सबके क्रियान्वयन हेतु कालांतर में १२ अंतरिम आदेश दिये और उनके सख्ती से पालन हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया। प्रत्येक राज्य में उसकी देखरेख का तंत्र रचा और साथ ही साथ विशेष आयुक्त की नियुक्ति की गई।

अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान - गुजरात

पिछले एक दशक और उससे भी अधिक समय से सजग प्रयत्नों के बाद भी दो जून की रोटी की समस्या का हल नहीं मिला है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान व भविष्य की स्थायी अन्न सुरक्षा व गरीबी निवारण की कोशिशों की सख्त जरूरत है। इसके लिए पंचमहाल-दाहोद तथा सौराष्ट्र क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाओं तथा लोक संगठनों को अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान की जरूरत महसूस हुई। योजना संशोधन ही नहीं वरन् आजीविका के साधनों पर गरीब परिवारों की पहुँच बढ़े, साथ ही न्यायपूर्ण वितरण हो, यह अत्यंत जरूरी हैं। अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान गुजरात इस दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय स्तर के अधिकार अभियान के साथ गुजरात का अभियान सम्बद्ध है। कारण यह है कि यह मुद्दा किसी एक क्षेत्र या संस्था से संबंधित नहीं है। परंतु इसकी व्यापकता को देखते हुए राज्य स्तर पर संगठित प्रयासों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सिर्फ सुधार या कार्यशाला तक ही नहीं वरन् अभियान के रूप में सभी सहभागी बनें इस उद्देश्य से अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के तत्वावधान में निम्नानुसार प्रक्रिया सम्पन्न हुई :

- महिलाओं की दृष्टि से अन्न असुरक्षा समझने के प्रयोजन से सहभागी सुधार प्रक्रिया - अन्न उपलब्धि का अध्ययन।
- स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता हेतु कार्य शिविर ताकि इस मुद्दे पर उनकी वैचारिक समझ व वास्तविक प्रयास में वृद्धि हो।
- क्षेत्रीय समस्याओं और परिबलों के आधार पर समुदाय के लोगों के साथ अधिवेशन।
- अन्न सुरक्षा के बारे में सरकारी योजनाओं की प्रभावोत्पादकता और कमियों का अध्ययन।

अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान का अध्ययन

२००४ के आरंभ में पंचमहाल-दाहोद तथा सौराष्ट्र क्षेत्रों की ग्राम विकास तथा महिला सशक्तीकरण के कार्य से सम्बद्ध संस्थाओं ने बार-बार की मीटिंग व चर्चा के बाद परिवार स्तर पर अन्न उपलब्धता की स्थिति का अध्ययन शुरू किया। इस अध्ययन की शुरूआत में

संकुल - क्लस्टर स्तर पर महिला की समझ के अनुसार अन्न सुरक्षा क्या है, अन्न की असुरक्षा के कारण, उनके प्रभाव और उनके लिए उत्तरदायी परिबलों को समझने हेतु बैठकें की गईं। इन बैठकों में स्थानीय सहभागी मूल्यांकन व आयोजन हेतु माध्यमों का उपयोग हुआ। समस्या को समझने के लिए जब पेड़ की जड़ अर्थात् कारण और डालियों की उनके प्रभाव के साथ तुलना की गई तो महिलाओं ने उसे दु:ख का पेड़ कहा। दु:ख के पेड़ द्वारा स्पष्ट हुआ कि आदिवासी क्षेत्र, सागर तटीय क्षेत्र, दूसरे स्थान पर जाकर जीवन निर्वाह करने वाली बस्तियों में दो जून की रोटी और टिके रहने के प्रश्न भिन्न प्रकार के हैं। भूमि विहीन, भूमि गिरवी चली जाना, अशक्त, निराधार, परिवारों की दशा तो बहुत ही गंभीर है। परिवार के स्तर पर अन्न सुरक्षा की स्थिति समझने के साथ सरकार की अन्न आधारित योजनाओं की स्थिति भी समझने की कोशिश की गई।

बारहों महीनों हेतु अन्न उपलब्धि का सर्वेक्षण

अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के नेतृत्व तले पंचमहाल-दाहोद में १४३५ परिवारों के अध्ययन से उभर कर आया कि परिवार में अन्न की कमी की शुरूआत मुख्य रूप से गुजराती माह के चैत्र से भाद्रपद तक रहती है। इनमें से १९.२३ प्र.श. लोग अर्थात् २७६ लोग बारहों महीने अन्न असुरक्षा अनुभव करते हैं। १०. प्र.श. लोगों को ही बारहों महीने पर्याप्त खाने को मिलता है। जबकि राजकोट जिले के माणिया तहसील के ६५४ परिवारों के अध्ययन से जानने को मिला कि लोगों को चैत्र से आसाढ़ माह तक असुरक्षा रहती है। इनमें से १४.९ प्र.श. लोग ही बारहों मास सुरक्षित हैं।

गरीब कौन : सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के दांव-पेच

बी.पी.एल. परिवार में से विभाजित होने वाले कार्ड को मात्र ए.पी.एल.कार्ड दिया जाता है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि सम्पन्न परिवारों के पास बी.पी.एल. कार्ड हैं और गरीब परिवारों को ए.पी.एल. कार्ड दिये गए हैं।

मकान, जमीन व खर्च करने की क्षमता के आधार पर यदि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार तय होते हों तो प्रश्न यह है कि जिनके मकान कच्चे हैं, दंगों में जल गए हैं, जमीन गिरवी चली गई हैं, ऐसे परिवार किस तरह ए.पी.एल. हो सकते हैं।

मालिया तहसील में बी.पी.एल. की पात्रता वाले २७८ परिवारों ने अर्जी देकर अपने परिवार की परिस्थिति बताते हुए इस बारे में जाँच हेतु सरकार से विनती की है कि सरकार पता लगाये कि वे गरीब हैं या नहीं!

बहुत सी अर्जियां ऐसी थी कि जो बी.पी.एल. कार्ड धारी थे, उन पर ए.पी.एल. कार्ड की मोहर लगाई हुई थी। यह बड़ा चक्कर था। अभी सिर्फ नये कार्ड देने हों तो ए.पी.एल. ही दिये जाते हैं। उनमें परिवार की स्थिति का पता नहीं लग पाता। समग्र स्तर पर बी.पी.एल. की पहचान वाले मापदंडों को लेकर कहीं भी स्पष्टता नहीं है। हमने इस तरह की अधिक से अधिक अर्जियां प्राप्त की है। गरीब या विधवा महिलाओं हेतु बी.पी.एल. कार्ड द्वारा ही अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है। अतः उनके लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अधिक जरूरत वाले लोगों के पास बी.पी.एल. कार्ड थे, पर नए कार्ड भूकंप, साम्प्रदायिक दंगों या विभाजित होने पर ए.पी.एल. हो गए। अर्थात् वे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। सरकारी तंत्र का रसद विभाग बताता है कि सर्वेक्षण करने का जिम्मा ग्राम विकास विभाग का है।

उपर्युक्त आंकड़े देखने पर ऐसा लगता है कि ५० प्र.श. ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवार छह महीनों से अधिक अन्न असुरक्षा अनुभव कर रहे हैं। ये आंकड़े देश के गरीब लोगों के सामाजिक सर्वेक्षण में भी प्रतिबिम्बित होते हैं। यह सिर्फ आदिवासी इलाके में ही सर्वे में देखने को मिला हो ऐसा नहीं है। सौराष्ट्र की अन्य तहसीलों में भी अन्न की असुरक्षा हेतु उल्लेखनीय फर्क देखने को नहीं मिलता। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. का झूठा वर्गीकरण गरीबी के लक्ष्य को तोड़ पाने में असमर्थ रहता है।

कुपोषण का महिला स्वास्थ्य पर प्रभाव

बारिया की जन सुनवाई के दौरान प्राप्त ब्यौरा

क्या तुम स्वस्थ हो? डेस्क पर प्रत्येक सहभागी का हीमोग्लोबिन, वजन, ऊँचाई, मापने हेतु स्वास्थ्य स्वयंसेविका बहनें तथा देवगढ़ महिला संगठन की स्वास्थ्य समिति उपस्थित थी। अन्न असुरक्षा, और उसमें भी पोषणयुक्त आहार की कमी का प्रभाव व्यक्ति की तंदुरुस्ती पर पड़ता है। ४०० से अधिक महिला सहभागियों में से

३० प्र.श. से अधिक महिलाओं में ७ प्र.श. से १० प्र.श. मात्रा में हीमोग्लोबिन था। लगभग ७ प्र.श. महिलाओं में ७.४ प्र.श. मात्रा में हीमोग्लोबिन था। जबकि जांच के बाद कई महिलाओं में तो ४ प्र.श. से भी कम हीमोग्लोबिन होने का पता चला। इन तमाम महिलाओं को सफेद रिबन बांधी गई। १० प्र.श. से अधिक हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को लाल अर्थात थोड़ा स्वस्थ रक्त दर्शाने वाली रिबन बांधी गई थी।

इस प्रक्रिया से बहनों को स्वयं समझ में आया कि उनका हीमोग्लोबिन उनकी अशक्ति का सूचक है। ज्यादातर महिलाओं में उम्र, ऊँचाई तथा वजन सप्रमाण नहीं था। शुरूआत में जो बहनें टेस्ट हेतु रक्त की बूंद देने में डरती थीं, वे दूसरी महिलाओं को देख कर हिम्मत करने लगीं। डॉ. श्रीधर ने स्पष्ट किया कि सामान्यतः १२ प्र.श. हीमोग्लोबिन महिलाओं के लिए उचित माना जा सकता है। अधिवेशन में उपस्थित जागृत महिला-नेत्रियों में बहुत बड़ी संख्या में १० प्र.श. से कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाएं हैं। ये तमाम महिलाएं सफेद रिबन वाली हैं। मंडप में इतनी सारी बहनों को कुपोषण है, यह देखा तो प्रश्न की गंभीरता स्वयमेव स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि गुजरात की औसतन कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं की अपेक्षा यहां आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं दुगनी संख्या में हैं। यह दर्शाता है कि जहां गरीबी है, वहां अन्न की कमी है और अधिक कुपोषण है। क्षेत्रीय अधिवेशन की श्रृंखला की शुरूआत ६-७ दिसंबर २००४ को देवगढ़ बारिया से और दिनांक १८ फरवरी २००५ को माणिया में हुई। उसकी अच्छी प्रतिक्रिया सामने आई।

जन सुनवाई के उद्देश्य

(१) विभिन्न अन्न सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी देना।
(२) विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन अथवा नीति के कारण वंचित वर्ग को पहचानने, उनकी समस्या को समझना।
(३) लोगों की अपने अधिकारों की सजगता बढ़ाने का प्रयास करना। जन सुनवाई आयोजित करने का मुख्य आशय केवल समस्याएं उजागर करना नहीं, वरन उनके समाधान से विशाल समुदाय पर उनका प्रभाव होता है। लोकतंत्र सुदृढ़ बनाने हेतु अधिक पारदर्शक व्यवस्था और पर्याप्त सूचना महत्त्वपूर्ण अंग है।

अन्न सुरक्षा योजना विषयक निष्कर्ष

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को (बीपीएल कार्ड धारी) तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों (एपीएल कार्ड धारी) और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन आदिम समूहों का समावेश करके लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था योजना के अधीन अनाज वितरण करना तय किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों को खोजने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। गरीबों हेतु घोषित मानदंडों के आधार पर चयन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत अनाज उपलब्ध कराया जाए। यह जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की है। यदि कोई राज्य इसका पालन नहीं करेगा तो इस योजना के तहत नियमानुसार केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। केन्द्र सरकार यह निश्चित करेगी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की शिकायत के अर्जी फार्म बिना मूल्य मिलें और शिकायतों का द्रुत व प्रभावी निवारण सुनिश्चित हो, इस हेतु तत्स्थलीय प्रभावी व्यवस्था तंत्र हो। पी.डी.एस. कंट्रोल आर्डर २००१ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक २३-६-२००३ के परिपत्र के अधीन सस्ते अनाज की दुकान के दुकानदार को रोजाना मुख्य स्थान पर निम्न बातों का नोटिस बोर्ड में उल्लेख करना होता है :

(१) गरीबी रेखा के नीचे के तथा अंत्योदय लाभार्थियों की सूची।
(२) आवश्यक चीज-वस्तुओं का राशन कार्ड धारी को देय मात्रा।
(३) बिक्री का स्तर।
(४) फुटकर बिक्री मूल्य।
(५) उचित भाव की दुकान खोलने व बंद करने का समय।
(६) महीने के दौरान प्राप्त आवश्यक चीज-वस्तुओं की तादाद।
(७) महीने के दौरान खुलता व बंद होता माल का भंडार।

हमारे अध्ययन के दौरान बहुत कम स्थानों पर नोटिस बोर्ड थे। जहां नोटिस बोर्ड नहीं थे, वहां महिलाओं द्वारा दुकानदार से पूछे जाने पर वे कहते कि नोटिस बोर्ड के पैसे नहीं हैं। जहां नोटिस बोर्ड थे वहां ऊपर वाले विवरण दर्शाए हुए नहीं थे। जहां दर्शाए हुए थे वहां सप्ताह या पखवाड़े के पहले का स्टॉक दर्शाया हुआ था। सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखने के बजाय महीने में ज्यादा से ज्यादा दो से चार दिनों के लिए दुकानें खुलती थीं। इससे बाकी रहे ग्राहकों को अनाज-केरोसिन नहीं मिल पाता है। गाँव से दुकान की दूरी

३ से ८ कि.मी. है। माणिया में सबसे अधिक २३ कि.मी. दूर है। वर्षा ऋतु में, बस किराया न होने पर अथवा अनाज-केरोसिन आने का पता न होने पर समय और बस किराया व्यर्थ जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में तो चलकर जाना पड़ता है।

अन्न सुरक्षा हेतु स्थायी आजीविका

रोजी-रोटी के लिए आदिवासी इलाकों में अवसर नहीं होता अत: स्थलांतर करना पड़ता है। यदि गाँव में ही काम के बदले अनाज मिलता रहे तो आजीविका के सवाल की तीव्रता घट जाए। एस.जी.आर.वाई., खेत-तालाब जैसे काम हेतु अनाज (फूड फॉर वर्क) की चर्चा करते हुए कई महत्त्वपूर्ण अनुभव जानने को मिले। सामान्यतया अकाल के समय ही इनकी घोषणा होती है। इस कार्यक्रम की घोषणा गाँव में बहुत देर से होती है, इस कारण बहुत से लोग पहले ही स्थलांतर कर चुके होते हैं। पूरे गाँव में घोषणा भी नहीं होती। बी.पी.एल. हेतु प्राथमिकता का मानदंड होते हुए भी, उसका पालन नहीं होता। इस कारण से मजदूर काम के लिए जुड़ते नहीं और सरकार समझती है कि लोग काम करना नहीं चाहते। कभी तो जे.बी.सी. द्वारा काम किया जाता है। अनाज के कूपन नियमानुसार तुरंत दूसरे सप्ताह नहीं मिलते तो अनाज नहीं मिलता। दुकानदार के पास स्टॉक पर्याप्त न हो तो ऐसी परिस्थिति में घर में अनाज की अत्यंत कमी हो जाती है। इन तमाम प्रश्नों के साथ-साथ गाँव में पर्याप्त, नियमित सुरक्षित रोजगार मिलता रहे, इसकी मांग सामने आई। राष्ट्रीय स्तर पर 'काम के अधिकार' के आंदोलन के साथ अपना स्वर मिलाया है।

प्रभाव

दोनों क्षेत्रों में जन सुनवाई के कारण कुछ विभागों से संलग्न तंत्र के अधिकारियों में से संवेदनशील अधिकारियों ने निम्न सकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं :

- जिन तहसीलों की अर्जी थी, उनमें उचित मूल्य की दुकानों की जांच हुई, अनुरोधकर्ताओं की अर्जियों के संदर्भ में उनकी हकीकतें जानने का प्रयास हुआ। कहीं-कहीं हकीकतों को ढकने का प्रयास भी हुआ।
- पंचमहाल-गजापुरा गाँव में राशन कार्ड में पूरे अनाज वितरण का उल्लेख किया हुआ था, जो सही नहीं मिला था। जितने महीनों का बाकी था वह लोगों को बुलाकर पूरा अनाज दिया गया।
- मालिया में अर्जी दिये हुए प्रत्येक गाँव में पहली बार लोगों को माल की पहुँच मिली। इसके लिए ४० महिलाओं ने अर्जी दी थी।
- राशन की दुकान में माल आते ही दुकानदार ने गाँव में समाचार भिजवा दिया।
- नियमित भाव से ज्यादा पैसा लेना बंद हुआ।
- राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए वर्षों से लोग धक्के खाते थे, ऐसे ११२ लोगों की अर्जियां आई थीं। उनके राशन कार्ड नए करने की, विभाजित करने की त्वरित कार्यवाही शुरू हुई।
- देवगढ़ बारिया में आंगनबाड़ी में ६ माह से स्टॉक नहीं आया था, वह आ गया।
- नयी आंगनबाड़ी की मांग थी, इनके लिए जिले से स्वीकृति मांगी गई।
- मध्याह्न भोजन योजना की मालिया तहसील में जो शिकायत थी उसकी जांच करने पूरी तहसील में सावधानी रखने का आयोजन किया।
- लोग अपने अधिकार के प्रति सजग हुए। उनको सूचनाओं की जानकारी मिली और लोगों को तंत्र के उत्तरदायी बनाने में मदद मिली।

इसके साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर हकीकतें और अव्यवस्था बाहर आने पर हलचल मची। निहित हित वालों ने विरोध दर्शाया। गलत अफवाहें फैलाई और संस्था पर दबाव डाला। सुनवाई की गूंज राजनीतिक स्तर भी हुई। एक तरफ राजनीतिक दबाव और दूसरी तरफ जांच के अंदर वास्तविकता छिपाने हेतु बहनों पर दबाव, इन दोनों दबावों का सामना सामूहिक ताकत और नेतृत्व देने वाली बहनों ने निडरता से किया।

लंबी मंजिल

उपर्युक्त प्रभावों से निश्चित बदलाव देखा गया है परंतु वे व्यवस्था तंत्र में स्थायी बनें यह जरूरी है। इसी तरह व्यवस्था में चुस्ती लाने के लिए समग्र राज्य स्तरीय दबाव जरूरी है। इसमें अत्यधिक प्रयासों की जरूरत है। इसी के साथ अन्न सुरक्षा खड़ी करने के लिए

राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इतनी ही जरूरी है। क्रियान्वयन तंत्र अधिक सुदृढ़ व पारदर्शक बने, साथ ही शिकायतों के हल हेतु व्यवस्था-तंत्र द्वारा पर्याप्त जानकारी और उसके लिए उचित द्रुत कदम उठाये जाने की जरूरत है। बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के मापदंडों को अधिक सावधानी से जांचकर वास्तविक जरूरत वालों को मिले, इसके लिए छानबीन जरूरी है। अध्ययन द्वारा फलित होता है कि गर्मियों से वर्षा ऋतु तक के महीनों में अन्न की असुरक्षा अधिक रहती है, ऐसे महीनों में काम के बदले अनाज, धान बैंक, सस्ते भाव पर अनाज मिले, आदि विकल्प बढ़ाने और प्रदान करने की जरूरत है।

समग्र सिस्टम में गरीबों के हित और उनकी आवाज दबाने का प्रयास अधिक होता है। पूरी व्यवस्था में जिसे फायदा होता है प्रशासन तंत्र उसका साथ देता है और साठगांठ मजबूत बनती है। परंतु जब महिला मंडल या गरीब परिवार संगठित होकर कदम उठाते हैं तो सत्ता के परिमाण बदल जाते हैं। इस तंत्र में कुछ नही होगा, ऐसे अभिगम से बाहर निकल कर सकारात्मक परिवर्तन हेतु क्या हो सकता है, यह सोचना जरूरी है। सरकारी तंत्र और राजनीतिकों द्वारा गरीबों के पक्ष में न्यायपूर्ण कदम उठाने की सख्त जरूरत है।

स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका

- स्थानीय महिला मंडलों तथा ग्राम पंचायत द्वारा अन्न असुरक्षाग्रस्त परिवारों की सूची तैयार कराना।
- ग्राम पंचायत तथा महिला मंडल को योजना की जानकारी देना, साथ ही लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने हेतु जाग्रत करना। जहां अवरोध आये, वहां सहारा देकर तथा हिम्मत के साथ सामना करे, ऐसे प्रयास जरूरी हैं।
- क्षेत्र का अध्ययन करना। उससे समग्र राज्य की आवाज बढ़ सकती है।
- अन्य की असुरक्षा की समस्या हल करने हेतु लोग तैयार हों, ऐसे प्रयास करना।
- नीति विषयक मामलों हेतु स्थानीय संगठनों के साथ रहकार समर्थन करना। इस अभियान में संचार-तंत्र, पंचायत संगठन, कार्यकर्ताओं और सरकार को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें।
- पूरी ग्राम पंचायत और सरपंचों से लोगों का परिचय कराना।

महिला मंडल अथवा संगठन की भूमिका

- ग्राम सभा में बड़ी तादाद में उपस्थित रहना।
- ए.पी.एल. व बी.पी.एल. की वास्तविकता वाले सवाल पूछना। बी.पी.एल. के गलत नाम कम कराने की हिम्मत दिखाना।
- गरीब परिवारों को खोजना और उनका अंत्योदय तथा अन्नपूर्णा में समावेश किये जाने हेतु पंचायत को जानकारी देना।

ग्राम पंचायत की भूमिका

- स्थानीय स्तर पर वास्तविक गरीब न छूट जाएं, इसके लिए पंचायत में निर्वाचित सरपंच, सदस्य प्रस्ताव द्वारा सबों को शामिल करें।
- गरीब लोगों की अन्न सुरक्षा निश्चित करने वाली योजना वाले काम लाने हेतु प्रयत्नशील रहें।
- पंचायत अपने अधिकार का उपयोग करके गाँव की प्रत्येक योजना विधिवत ढंग से चले, इसके लिए प्रयास करें।

जन सुनवाई में आये मामलों की झलक

इन दोनों जन सुनवाइयों में कुल १११९ शिकायती अर्जियां आईं। बारिया की जन सुनवाई में राज्य स्तरीय सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, अध्येता और अन्न सुरक्षा से जुड़े विभाग के तहसील व जिला स्तरीय अधिकारीगण, गुजरात राज्य के सी.ए.जी. उपस्थित थे। माणिया की जन सुनवाई में गुजरात राज्य के अन्न व नागरिक आपूर्ति के अग्रसचिव, नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक, जिले व तहसील स्तर के अधिकारीगण तथा गुजरात उच्च न्यायालय के निवृत्त जज और सीनियर एडवोकेट उपस्थित थे। इन दो सुनवाइयों के दौरान जो प्रतिनिधि किस्से सामने आए उनका विवरण उन्हीं के शब्दों में यहां प्रस्तुत है :

सस्ती खांड महंगी की

- घोघंबा तहसील के गजापुरा के दमाभाई मगनभाई। उनके परिवार में उनकी पत्नी और ४ बालक शामिल हैं। बालकों की उम्र ८ से १५ के बीच है। उनकी पत्नी शारीरिक दृष्टि से अशक्त

योजना का नाम	सुप्रीम कोर्ट का आदेश	राज्य सरकार के नियम	खोज
लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था	लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (टी.डी.पी.एस.) के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे शामिल परिवारों की छानबीन पूर्ण करना (दिः १-१-०२ तक)। कार्ड का वितरण करना तथा प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को प्रति माह २५ किलो अनाज देने का काम शुरू करना।	कुल २० किलो अनाज का वितरण। प्रति कार्ड ९ किलो गेहूँ २ रु. के हिसाब से, ३.५ किलो चावल ३ रु. के हिसाब से। नए प्रस्ताव के अनुसार ७.५ किलो अनाज, जिसमें ५ किलो गेहूँ ५ रु. भाव पर, २.५ किलो चावल ३ रु. भाव पर। ज्यादा से ज्यादा ५ व्यक्तियों तक प्रति व्यक्ति १.५ किलो गेहूँ, १ किलो चावल। बाद में आधा किलो चावल।	• अलग-अलग भाव होने से कितनी तादाद मिलती है, यह लोगों के समझ में नहीं आता। उसमें महंगे भाव की अधिक तादाद अनेक कार्ड में नही मिलती • कार्डधारी को उसे मिलने योग्य अनाज, केरोसिन का स्टोक नहीं मिलता। • निर्धारित भाव से ज्यादा भाव लिया जाता है। खरीद पर बिल नहीं दिया जाता दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड में भाव नहीं लिखे जाते, जहां है वहाँ दर्ज नहीं किया गया। • अनाज-केरोसिन कम देकर कार्ड में नियमानुसार दर्ज किया जाता है। • सस्ते अनाज की दुकान का स्टॉक खुले बाजार में बिकता है। • कौमी दंगों में जले राशन कार्ड नए सिरे से नहीं देते। कई तो दुकानदार के पास पड़े हैं। पर वे प्रति कार्ड ५० रु. मांगते हैं। • ग्राहकों की अज्ञानता और निरक्षरता का बेजा लाभ उठाकर दुकानदार मनमाना व्यवहार करते हैं। • दुकानदार राशन कार्ड अपने पास रखते हैं। • माणिया में वाजिब भाव की अनाज की दुकान दूर है, ऐसी बहुत शिकायतें आई थीं। सर्वाधिक २३ कि.मी. दूर। ३ से ४ दिन खुले, दिन निर्धारित नहीं। इस कारण दो-तीन बार किराया खर्च करना पड़ता है और उस दिन की मजदूरी जाती है। जितना लिखे उतना अनाज नहीं दे, साथ ही रसीद नहीं दे, निर्धारित दर से अधिक भाव वसूल करे, कम तोले। राशन देने से पहले और बाद में ग्राहकों के कार्ड जमा रखना। • लोगों के अधिकार क्या हैं, हक की वस्तुएं न मिलने पर किस तरह शिकायत करना, यह नहीं जानते।
अंत्योदय अन्न योजना बी.पी.एल. परिवार के १५ प्र.श. हों। यह सूची ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद तैयार की गई हो।	राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि २००२ तक बी.पी.एल. परिवार की पहचान करके उन्हें कार्ड देने तथा प्रतिमाह प्रत्येक परिवार को ३५ किलो अनाज देना। अंत्योदय	प्रति कार्ड २८ किलो गेहूँ, प्रति किलो २ रु. भाव ७ किलो चावल ३ रु. भाव अंत्योदय अन्न योजना की सूची	• किसी भी गाँव में बी.पी.एल., अंत्योदय या अन्नपूर्णा योजना के कार्डधारियों की सूची सार्वजनिक स्थान पर और दुकान के नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाई गई। सूची मांगने पर नहीं दी जाती।

योजना का नाम	सुप्रिम कोर्ट का आदेश	राज्य सरकार के नियम	खोज
विशेष रूप से निराश्रित, असहाय, विधवा, शारीरिक तथा मानसिक क्षति वाले व्यक्ति, घुमंतू जाति और सामाजिक रूप से वंचित परिवारों का समावेश हो।	अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थियों पहचान परख तथा उनको कार्ड देने का काम तथा अनाज वितरण दिः १-१-२००२ तक पूरा करना।	सार्वजनिक स्थल पर तथा राशन की दुकान के नोटिस बोर्ड पर लगाना।	• इस चयन प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की शुष्क भूमिका है। कई परिवार जो अंत्योदय में शामिल हैं, वे भी समाविष्ट हैं। अनाज प्राप्त करने में बहुत ज्यादा अव्यवस्था देखने को मिली। • अंत्योदय हेतु ऊपर से कोटा दिया जाता है उतना ही कोटा देते हैं। ऐसी दशा में स्थानीय पटवारी-सरपंच का कहना है कि संख्या ऊपर से तय होती है जिससे गाँव के गरीब रह जाते हैं और ग्राम सभा में यह मुद्दा रखें तो झगड़ा होता है। • किसी गाँव में बी.पी.एल. के १५ प्र.श. ज्यादा गरीबों का अंत्योदय में समावेश होता हो तो उनका समावेश करने में मुसीबत होती है। • गरीब होते हुए ए.पी.एल. कार्ड है और बी.पी.एल. में समावेश नहीं होता, अतः अंत्योदय में बाकी रह जाते हैं। • मानदंडों के अनुसार चयन में बहुत कमियां हैं, जन सुनवाई में महिला मंडलों ने इस योजना के सच्चे हकदारों को खोजा। उनकी ८७ व्यक्तियों की अर्जी आई।
अन्नपूर्णा योजना ६० वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध एवं निराधार पेंशन के हकदार हैं।	अंत्योदय योजना के अनुसार कई लाभार्थी गरीबी के कारण अनाज का स्टॉक नहीं उठा सकते। ऐसे मामलों में केन्द्र व राज्य सरकारें लाभार्थियों को बिना मूल्य स्टॉक प्राप्त करने के योग्य बना दें। अन्नपूर्णा योजना के तमाम लाभार्थियों की दिः १-१-०२ तक पहचान पूरी कर लें और अनाज वितरण हो जाए।	जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन न मिलती हो, ऐसे लाभार्थियों की पहचान करके १० किलो अनाज मुफ्त देना। दि. ४-२-०४ जिलेवार लक्ष्य दिया गया है और अनाज वितरण हेतु खास कूपन की व्यवस्था की गई है।	• इस योजना के बारे में बहुत से सहभागी अनजान थे। समाज सुरक्षा विभाग में वृद्ध/ निराधार पेंशन योजना की पुरानी अर्जियों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। • ज्यादातर अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी कहीं खोजे नहीं गए। बहुधा ऐसा कहा गया कि सर्वे चल रहा है। कहीं भी स्पष्टता नहीं है। • महिला मंडलों ने इस योजना के सच्चे हकदारों को खोजा। २५० व्यक्तियों की अर्जियां आई हैं।
राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना वृद्ध या जिसके कोई कमाने वाला पुत्र न हो। आय का कोई साधन न हों।	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अनुसार (एन.ओ.ए.पी.एस.) प्रत्येक राज्य प्रत्येक लाभार्थी की पहचान १-१-०२ तक पूरी	६० वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हों, जिन निराधार वृद्धों के कोई कमाने	

योजना का नाम	सुप्रीम कोर्ट का आदेश	राज्य सरकार के नियम	खोज
	की जाए तथा भुगतान शुरू करना, साथ ही प्रतिमाह ७ तारीख तक इस योजना के लाभार्थियों को निश्चित रूप से भुगतान हो जाए।	वाले पुत्र न हों, उनको प्रति माह २०० रु. मिले।	
मध्याह्न भोजन सरकारी प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले सभी बालकों के लिए मुफ्त व ताज़ा पकाया हुआ भोजन। कुपोषित बालकों को अधिक पौष्टिक आहार उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व का है।	मध्याह्न भोजन योजना का सभी राज्यों को पालन करना साथ ही सरकारी व सरकारी सहायता से संचालित सभी प्राथमिक शालाओं में अध्ययन करने वाले प्रत्येक बालक को रोजाना कम से कम ३०० कैलोरी और ८ से १२ ग्राम १०० दिनों तक प्रदान करें। एफ.सी.आई.को आदेश दिया गया है कि वह यथा समय अच्छी गुणवत्ता का अनाज इस योजना हेतु उपलब्ध कराये। यदि अनाज की गुणवत्ता उत्तम न हो तो अनाज का स्टॉक देने से पहले बदल दे। इस योजना के लिए हर शाला हेतु अलग रसोईघर अथवा शेड होनी चाहिए सारे बालक जाति-पांति के भेदभाव के बिना खाना खाने के लिए साथ बैठने चाहिए।	प्राथमिक शाला में कक्षा १ से ७ में पढ़ने वाले सभी बालकों को मुफ्त व ताजा पकाया हुआ भोजन मिले। प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले प्रत्येक बालक को वर्ष में कम से कम २०० दिनों तक भोजन मिलना चाहिए।	• ३ गाँवों में तहसील से पकाया हुआ अनाज मिलता है, जिससे गुणवत्ता खराब और मात्रा अपर्याप्त होती है। • बहुत सी स्कूलों में नियमानुसार पकाया नहीं जाता। रोजाना कोई न कोई अनाज देते हैं, सागभाजी नहीं दी जाती। • जसदण पांच सीम शाला में मध्याह्न भोजन की योजना गांव से ४ कि.मी. दूर चलने के कारण उसका लाभ लेना संभव न था। अतः स्थानीय स्तर हेतु मांग आई। • इन दोनों योजनाओं से सारे सहभागी वाकिफ थे। फिर भी उसकी कितनी मात्रा, कितने दिन, कैसी गुणवत्ता और सूची के बारे में जानते न थे। • इन तमाम विषयों में सहभागी समझ विकसित करनी जरूरी थी। अनियमितता, अपर्याप्त खुराक, गुणवत्ता रहित भोजन, गलत रिपोर्ट, बिना पूछे बेचने, पशुओं को खिलाने जैसी बातें उभर कर आई हैं। साथ ही पिछले ६ माह से (आंगन वाड़ी में) नाश्ता नहीं इसके साथ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और तेडागर को अनियमित भुगतान, संचालकों द्वारा मनमाना व्यवहार, शाला में रसोई हेतु अपर्याप्त साधन थे। बस्ती के माप के अनुसार आंगनवाड़ी की सुविधा, बालकों के लिए आने-जाने की दूरी ज्यादा, बालकों की स्वास्थ्य जांच में अनियमितता और कई शालाओं में आदिवासी तथा दलित बालकों के साथ भेदभाव की नीति।
समन्वित बाल विकास योजना	समन्वित बाल विकास योजना (आई.सी.जी.एस.) इस योजना	• ० से ५ वर्ष तक के बालक • गर्भवती धात्री महिलाएं	• मालिया में आंगनवाड़ियां अच्छी चलती हैं। पर सात वांढ क्षेत्र में आंगनवाड़ी की मांग है। वहां

योजना का नाम	सुप्रीम कोर्ट का आदेश	राज्य सरकार के नियम	खोज
	के अनुसार तमाम वितरण केन्द्रों को निम्न व्यवस्थाओं का पालन करना है : (१) ६ वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बालक को ३०० कैलोरी और ८ से १० ग्राम प्रोटीन वाला अन्न मिलता रहे। (२) प्रत्येक किशोरी, बाला को ५०० कैलोरी और २० से २५ ग्राम प्रोटीन वाला अन्न मिलता रहे। (३) गर्भवती महिला को और स्तन पायी माता को ५०० कैलोरी और २० से २५ ग्राम प्रोटीन वाला अन्न मिलता रहे। (४) कुपोषित बालक को ५०० कैलोरी और १६ से २० ग्राम प्रोटीन वाला अन्न मिलता रहे। (५) प्रत्येक अंचल में वितरण केन्द्र उपलब्ध हो।	• छुट्टी के दिनों के अलावा यह सेवा तीन घंटे देना। • बालकों को पोषक आहार ८० ग्राम और बालिकाओं को १६० ग्राम दिया जाता है। • ० से ५ वर्ष के सभी बालकों को सुखड़ी, मुठियां, थेपला, लापसी (कोई एक वस्तु वार के अनुसार)। आदिवासी अंचल में तैयार नाश्ता।	कुपोषित बालकों की संख्या अधिक है। आंगनवाड़ी होने से बड़े बालक अपने छोटे भाई-बहनों को संभालने के साथ-साथ पढ़ाई भी कर सकेंगे, ऐसी मांग है। चने का स्टॉक एक साल पुराना है और उसकी गुणवत्ता भी उत्तम नहीं है।
राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अनुसार बी.पी.एल अधीनस्थ सभी गर्भवती महिलाओं को सरपंच के मार्फत ५०० रु. देना और यह राशि प्रथम दो बालकों के जन्म हेतु प्रसूति के ८ से १२ सप्ताह पहले चुकाई जाए।	• बी.पी.एल. परिवार की महिलाओं को पहले दो जीवित बालकों तक प्रत्येक प्रसूति पर ५०० रु. दिये जाते हैं। • जिसकी उम्र १९ वर्ष या इससे अधिक हो, उसे मातृत्व लाभ पूर्व दो से तीन माह पहले मिल सके। प्रसूति के बाद भी मिल सकते हैं। • यह फार्म ग्राम-पंचायत में निःशुल्क मिलता है। उसे भर कर पंचायत में प्रस्तुत करना चाहिए।	• अधिकांश लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है। • १० केस बाकी हैं और उनके बालक बड़े हो गये हैं।

योजना का नाम	सुप्रीम कोर्ट का आदेश	राज्य सरकार के नियम	खोज
राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति के देहावसान के प्रसंग में स्थानीय सरपंच के मार्फत परिवार को १०,००० रु. का भुगतान करना।	परिवार के कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। १०,००० रु. की आर्थिक सहायता चार सप्ताह में मिलनी चाहिए।	• अधिकांश लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है।

हैं और चल नहीं सकतीं। बड़ी बेटी अंधी है। वे स्वयं फुटकर मजदूरी करते हैं और मजदूरी न मिलने पर वर्ष में कई दिन भूखा रहना पड़ता है। बी.पी.एल. कार्ड के लिए अर्जी दी है।

- शहेरा तहसील के खोजलवास गाँव की गलीबेन कालुभाई बारिया विधवा और निराश्रिता हैं। तीन बेटियां ब्याह दी। विधवा ने सहायता हेतु अर्जी दी है, परंतु अभी तक सहायता नहीं मिली। उनका ए.पी.एल. कार्ड है।

३५ किलो अनाज मिलेगा?

- नवलखी गाँव के एमणा सलेमान बुराड गद्दे बनाकर, तो कभी मछली मिले तो बेच कर बमुश्किल गुजारा चलाती हैं। रहने के लिए छपरा है। जमीन नहीं है फिर भी ए.पी.एल. कार्ड दिया गया है। उनके पति को बी.पी.एल. कार्ड में शामिल किया गया है। मात्र ९ लीटर केरोसिन मिलता है। अंत्योदय योजना और विधवा पेंशन हेतु अर्जी दी है। सरकार से विधवा पेंशन में ढाई वर्षों में एक बार ६६० रु. मिले हैं। इसके अलावा कभी उसे सरकार से पैसा नहीं मिला।
- हरिपुर गाँव की जेडा जरीनाबहेन और फतेमामद जेडा विधवा महिला है। जमीन नहीं है, भूकंप सहायता से मकान बनवाया है। सरकार द्वारा गाँव के सबसे ज्यादा गरीब परिवार का कार्ड (श्रमयोगी) दिया गया है। फिर भी राशन कार्ड ए.पी.एल. दिया गया है। अतः मात्र ९ लीटर केरोसिन मिलता है। बाकी का अनाज महंगे भाव पर बाजार से खरीदना पड़ता है। उनकी अर्जी कार्ड को बी.पी.एल. करके देने तथा अंत्योदय योजना में शामिल करने के लिये है।
- घोघंबा तहसील के खरखड़ी गाँव की शारदाबहेन नायर के पति शारीरिक दृष्टि से विकलांग थे। उनको पेट की बीमारी हुई, दवा के पैसे न होने से मर गये। उनके तीन बेटे व एक बेटी है। फुटकर मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं। उनके पास बी.पी.एल. कार्ड है। कार्ड पर ५ लीटर केरोसिन मिलता है। और १० लीटर गलत इन्द्राज किया जाता है। गेहूँ व चावल पैसे न होने से नहीं खरीद पाते, पर कार्ड में प्रति माह इनका इन्द्राज किया होता है। रसीद मांगें तो दी नहीं जाती। अंत्योदय योजना के लिए अर्जी दी है।
- घोघंबा तहसील के बारियाकणी गाँव की अलीबहेन मंगलसिंह बारिया। यह विधवा महिला है। इनको नया ए.पी.एल. कार्ड मिला है। पर अनाज नहीं मिलता। विधवा सहायता नहीं मिलती। एक बालक है पर निराश्रित है और जमीन न होने से मजदूरी करके गुजारा चलाते हैं। कई दिन तक मजदूरी भी नहीं मिलती। अंत्योदय योजना के लिए अर्जी दी है।
- शहेरो तहसील के नये महेलाण गाँव के भूराभाई मोतीभाई पटेलिया। उम्र ६८ वर्ष। मोहल्ले के लोग रोटी भेजते हैं तो खाते हैं। आधा एकड़ जमीन है। वृद्ध हो गए हैं अतः काम नहीं कर सकते। ए.पी.एल. कार्डधारी हैं। अंत्योदय योजना और अन्नपूर्णा योजना के लिए अर्जी दी है।

कम देते हैं, ज्यादा लिखते हैं

- मालिया तहसील के कुंभारिया गाँव के मोरतरिया पोलाभाई चनाभाई। इनका राशनकार्ड अंत्योदय का है। पर योजनानुसार राशन नहीं मिलता। कभी ५ किलो तो कभी १०, तो कभी २० किलो देते हैं और प्रतिमाह कार्ड में २० किलो गेहूँ लिखा होता है।

- मालिया तहसील के वर्षामेड़ी गाँव की दिवालीबहेन मेसूरभाई। वे अंत्योदय योजना की लाभार्थी हैं। पर पिछले ३ वर्ष से उन्हें प्रतिमाह अंत्योदय योजना से ९ किलो गेहूँ और ३.५ किलो चावल देते है। उनके राशन कार्ड में तीन माह पहले २० किलो गेहूँ और ५ किलो चावल लिखा है। पिछले तीन माह में २८ किलो गेहूँ और ७ किलो चावल लिखा है। ३ वर्ष से जितना गेहूँ चावल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। राशन की दुकान पर राशन मात्र ३ से ४ दिन तक ही दिया जाता है। बाद में लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि अनाज खतम हो गया है, अगले माह आना।
- देवगढ़ बारिया तहसील के सागटाणा गाँव के भीमाभाई कलाभाई नायक और मगनभाई भीमाभाई नायक। उन्होंने अगस्त सितंबर २००४ में सिर्फ ५ लीटर केरोसिन लिया था, पर कार्ड में ९ किलो गेहूँ, ३.५ किलो चावल, १ कि. तेल और ३ किलो खांड तथा १० लीटर केरोसिन का गलत इन्द्राज किया गया है।
- मालिया तहसील के खीरई गाँव के नागलबहेन तणशीभाई, केशरबहेन रसूलभाई, कंकुबहेन रामजीभाई, गलाबहेन, भलाभाई, पूरीबहेन मनजीभाई की अर्जी कार्ड में गलत इन्द्राज करने को लेकर थी। कार्ड में १० लीटर केरोसिन लिखते हैं और ७ लीटर देते हैं, तेल ५ किलो लिखते हैं पर मिलता नहीं, और पूछने पर कहें कि तेल ३ डिब्बे ही आया है, तो मैं किसे दूं?
- शहेरा तहसील के सुरेली गाँव के कालुभाई बारिया। इनका पैर टूट गया, चल नहीं पाते। उनकी पत्नी देखभाल करती है। वे भी वृद्ध हैं। मजदूरी नहीं कर सकती, तब भी मजदूरी करके खिलाती है। काम नहीं कर सकने के कारण आधा एकड़ जमीन होने पर भी जोत नहीं सकते। राशन में इन्हें ५ किलो गेहूँ, २.५ किलो चावल, ५ ली. केरोसिन मिलता है और कार्ड में ९ किलो गेहूँ, ५ किलो चावल, ७ लीटर केरोसिन का गलत इन्द्राज किया गया है। इन्हें अंत्योदय योजना की जानकारी नहीं और वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती।
- पंचमहाल-दाहोद तथा राजकोट जिलों के ९० गाँवों के सर्वेक्षण से अव्यवस्था संबंधी ४९० अर्जियां आई थीं।

ज्यादा लिये हुए पैसे वापिस लौटाओ

- मालिया तहसील के सुल्तानपुर गाँव के जय वरूड़ी माँ महिला मंडल, जय चामुंडा माँ महिला मंडल सदस्य की अर्जी में लिखा गया हैं कि गाँव से राशन की दुकान १५ कि.मी. दूर खाखरेची गाँव में है। हर महीने केरोसिन दिया जाता है। ७ लीटर केरोसिन १० रु. के भाव पर देते हैं। 'हमने उनसे कहा कि नियत भाव ही लगाओ न! तो बोले, आने जाने का किराया देना पड़ता है, हम मुफ्त में थोड़ी देने आएं।' दुकानदार निर्धारित भाव पर केरोसिन दें, यही हमारी मांग है।

गरीब धक्के खाते हैं और बिचौलिये पैसे खाते हैं

- मालिया तहसील के देवगढ़ गाँव के तलसीभाई कोली ६५ वर्षीय वयोवृद्ध विधुर पुरुष हैं। उनके कोई संतान नहीं है। उनके पास राशन कार्ड था, परंतु पत्नी के देहांत के बाद नाम कम कराने के लिए तहसील में गए और तब नाम काटने के लिए दिया गया उनका कार्ड अभी तक वापिस नहीं मिला। आज तक पिछले १२ से १३ वर्ष में १२ बार तहसील में तहसीलदार कार्यालय में और तहसील पंचायत में गए, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। गाँव का सरपंच भी साथ में गया, परंतु राशन कार्ड अब तक नहीं मिल पाया। वे निराधार हैं। जमीन नहीं, घर संस्थाओं ने बना दिया। अड़ोस-पड़ोस से अनाज या आटा मांग कर वे रोटी खाते हैं। जिस दिन कुछ नही मिल पाता, उस दिन उन्हें भूखा सोना पड़ता है। बुढ़ापा पेंशन मिलती थी जो ४ वर्ष से बंद हो गई।
- मालिया तहसील के हाजीसर गाँव की जनतबहेन और सकीनाबहेन के पास कार्ड नहीं। १० वर्षों से वे तहसील में धक्के खा रही हैं। बिचौलिये कितनी ही बार पैसे ले गए हैं। इस गाँव के ४१ परिवारों ने नए कार्ड बनवाने या कार्ड विभाजित करवाने हेतु अर्जियां दी हैं।

क्या इल्लियां और कंकड़ पौष्टिक हैं?

- घोघंबा तहसील के जीतपुरा गाँव की सुथाबहेन चंदुभाई। बालकों के लिए मध्याह्न भोजन की रसोई अच्छी नहीं होती। दलिया फीका बनाते हैं। खिचड़ी में दाल कम डालते हैं। संचालक रसोइये को पर्याप्त सामान नही देते, अपने घर रख लेते हैं।

शेष पृष्ठ 23 पर

हिन्दू उत्तराधिकार कानून में सूचित सुधार : स्त्री-पुरुष समानता अभी दूर है

हिन्दू उत्तराधिकार कानून में सुधार करने वाला एक मसौदा संसद में कुछ अर्से पूर्व प्रस्तुत किया गया है। यह मसौदा स्त्री-पुरुष समानता की तरफ आगे बढता है या नहीं, इस विषय की चर्चा यहां कुछ विद्वानों ने की है। वे मूल कानून की कुछ व्यवस्थाओं के साथ क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस बारे में विशद चर्चा करते हैं। इस लेख में **सुश्री बीना अग्रवाल**, **सुश्री इंदिरा जयसिंह** और **सुश्री बेतवा शर्मा** द्वारा व्यक्त विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, पांच महिला संस्थाओं ने भारत सरकार को जो आवेदन पत्र दिया है उसका विवरण भी दिया गया है।

पांच महिला संस्थाओं का आवेदन पत्र

केन्द्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज को जनवरी २००५ में पांच महिला संगठनों ने हिन्दू उत्तराधिकार सुधार मसौदे २००४ के संदर्भ में एक आवेदन पत्र सौंपा था, इनमे निम्न संगठन शामिल हैं: (१) ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसियेशन (२) नेशनल फेडरेशन ऑव् इंडियन वीमेन (३) सेंटर फोर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज (४) यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसियेशन ऑव् इंडिया (५) ज्वाइंट वीमेंस प्रोग्राम। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत मुद्दे निम्नानुसार हैं :

(१) मिताक्षर व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जानी चाहिए। कारण यह है, कि संयुक्त परिवार की यह व्यवस्था पुत्रों व पुत्रियों, बड़े पुत्रों व छोटे पुत्रों जैसे विविध स्तरों के बीच असमानता दर्शाती है। इससे हिन्दू उत्तराधिकार कानून में मिताक्षर व्यवस्था वाली धारा रद्द की जानी चाहिए।

(२) धारा २३ रद्द करने संबंधी सुधार स्वागत योग्य है क्योंकि उसमें परिवार के पुरुष सदस्य सहमत न हों तब तक स्त्री घर में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती।

(३) इस सुधार में कानून पारित हो तब स्त्री विवाहिता न हो तभी उसे सहसमांशी बनाते हैं। यह अन्याय है, क्योंकि बहुत सी स्त्रियों को विवाह के समय सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिला होता अथवा तो उसे जो रकम मिली होती है वह सम्पत्ति में समान अधिकार जितनी नहीं मिली होती।

(४) कृषि भूमि में स्त्री के समान अधिकारों की बात इस सुधार में नहीं की गई। हिन्दू उत्तराधिकार कानून धारा-४ (ए) कृषि भूमि के टुकड़े करने, सीलिंग सीमा तय करने और बँटाई के अधिकार का बंटवारा करने के कानून बनाने की राज्य को छूट देते हैं, अतः अनेक राज्यों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होने जैसे कानून नहीं। परिणामतः हिन्दू उत्तराधिकार कानून में खेती की जमीन में समान उत्तराधिकार का अधिकार स्त्री को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए धारा-४ (२) रद्द होनी चाहिए।

(५) हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा-१५ में हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति कैसे बने, इसकी व्यवस्थाएं दी गई हैं। ये व्यवस्थाएं भी भेदभाव पैदा करने वाली हैं। ये बताती हैं कि पुत्र, पुत्रियां और पति जैसे वर्ग-१ के उत्तराधिकारी अगर गैरहाजिर हों तो हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों को मिले, और यदि ये वारिसदार न हों, तभी उसकी सम्पत्ति उसकी माता और पिता को मिले। यदि उसके माता-पिता भी न हों तो उसकी सम्पत्ति पिता के वारिसदारों को मिले और यदि पिता के वारिसदार न हों तो माता के उत्तराधिकारियों को मिले। वस्तुतः सम्पति के बंटवारे के नियम स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान होने चाहिए।

(६) मृत व्यक्ति के उत्तराधिकार नियम भी स्त्रियों के प्रति भेदभाव करते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार कानून- ८ की अनुसूचि में इसे देखा जा सकता है। यदि माता, विधवा, पुत्र और पुत्री जैसे प्राथमिक वारिसदारों में से कोई एक मृत हो तो उसके वारिसदारों को उत्तराधिकार मिलता है। उदाहरणार्थ, यदि पुत्र या पुत्री मृत हों तो उनके बालकों को दादा-दादी की सम्पति का उत्तराधिकार मिल सकता है। परंतु पुरुष उत्तराधिकार में दो पीढ़ी तक लागू होता है और स्त्रियों के उत्तराधिकार में वह एक ही पीढ़ी तक लागू होता है। यह भेदभाव भी दूर होना चाहिए।

सुश्री बीना अग्रवाल
अर्थशास्त्र की अध्यापक, 'इंस्टीट्यूट ऑव् इकोनोमिक ग्रोथ', दिल्ली

हिन्दू उत्तराधिकार कानून १९५६ में सुधार करने का सरकार का इरादा स्त्री-पुरुष समानता की दृष्टि से वांछनीय है। परंतु जो सुधार इस कानून में सुझाये गए हैं वे अपर्याप्त और आंशिक हैं। २० दिसंबर २००४ को राज्यसभा में हिन्दू उत्तराधिकार सुधार कानून २००४ प्रस्तुत किया गया है। अगर यह उसी रूप में पारित होगा तो असमानता का मुख्य स्रोत अनछुआ ही रह जाएगा। और वह स्रोत है खेती की जमीन पर अधिकार। पुरुष की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा बढ़ाया गया है, पर यह उस पुरुष की विधवा पत्नी और माता जैसे वर्ग-१ के अन्य वारिसदारों के हिस्से में कमी करेगा। यह अपना हिस्सा दूसरे का वसीयतनामे से देने का और स्त्री वारिसदारों की उत्तराधिकार न देने का पुरुषों का अधिकार यथावत रखता है। इसका यह अर्थ है कि सर्वग्राही सुधार का मौका हम गंवा देंगे। स्त्री-पुरुष समानता सिद्ध करने हेतु खेती की जमीन को हमें अन्य सम्पत्तियों के समकक्ष मानने की जरूरत है। इसी भांति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति दूर करने की और टेस्टेशन को आंशिक रूप से नियंत्रित करने की जरूरत है।

उत्तराधिकार कानून १९५६ : प्रवर्तमान असमानताएं

१९५६ के वर्तमान उत्तराधिकार कानून में दो प्रत्यक्ष और एक गर्भित व्यवस्थाएं हैं जो स्त्री-पुरुष असमानता उत्पन्न करती हैं। सर्वप्रथम तो इस कानून की धारा-४ (२) कृषि-भूमि विषयक कई महत्व के हितों को माफी देती हैः सीलिंग सीमा संबंधी बँटाई कानूनों की व्यवस्थाओं को, कृषि भूमि धारण के विभाजन को अथवा ऐसे धारण के बँटाई अधिकारों को सौंपने को यह कानून छूता नहीं। इससे बँटाई की जमीन के हितों का बंटवारा बटाई के कानूनों में दर्शाए गए बंटवारे के क्रम के अनुसार होता है।

इसके उपरांत, एक स्त्री को बहुत ही सीमित मात्रा में स्थावर सम्पत्ति प्राप्त होती है और यदि वह विधवा के रूप में फिर से विवाह करे तो, अथवा एक या दो वर्ष तक जमीन जोते नहीं तो वह उस जमीन को खो देती है। इस अलावा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बँटाई की व्याख्या कानून में इतनी व्यापक की गई है कि स्त्री पुरुष के बीच बंटवारे की यह असमान व्यवस्था लगभग खेती की तमाम जमीनों को प्रभावी रूप से लपेट लेती है।

दूसरे, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में सम्पत्ति के छोटे-से हिस्से का अधिकार दिया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अधीन एक ही परिवार के हिंदू समुदाय के सिवा यदि कोई हिन्दू पुरुष वसीयत किये बिना मर जाता है तो उसकी अलग सम्पत्ति सर्वप्रथम उसके पुत्रों, पुत्री, विधवा पत्नी और माता के अलावा पूर्व में मरे पुत्रों या पुत्रियों के निश्चित वारिसदारों को समान रूप से सम्पति मिलती है। 'दया भाग' के अधीन यदि उसका पूर्व से संचालन होता हो तो यह नियम पूर्वजों की सम्पति पर लागू पड़ता है। परंतु यदि उसका 'मिताक्षर' के अनुसार संचालन होता हो तो संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का विचार लागू होता है।

'मिताक्षर' में यदि मृत पुरुष का 'काल्पनिक' (नोशनल) हिस्सा हो तो पुत्रों, पुत्रियों, विधवा पत्नी और माता तथा वर्ग-१ का अन्य वारिसदारों का समान हिस्सा पाने का अधिकार मिलता है, परंतु पुत्रों को जन्म के कारण संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में सीधा अधिकार भी मिलता है। यह हिस्सा उसके पिता के हिस्से में से मिलने वाले हिस्से के अलावा स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। वैसे मृत पुरुष के इस 'काल्पनिक' हिस्से में से ही स्त्री उत्तराधिकारी को अर्थात् पुत्रियों, विधवा पत्नी और माता को उत्तराधिकार का हक मिलता है। इसके उपरांत, पुत्र 'मिताक्षर' के सहसमांशिता का हिस्सा लेने की मांग कर सकता है। परंतु स्त्रियां वैसी मांग नहीं कर सकती। अर्थात् 'सामान्य' हिस्से में से अपना भाग लेने हेतु भी स्त्रियों को पुरुषों द्वारा हिस्सा करने की इंतजार करनी पड़ती है। साथ ही, पुरुष उसकी किसी भी अलग सम्पत्ति के किसी भी भाग का रूपांतर सहसमांशिता मिल्कियत में कर सकता है, और इससे स्त्रियों का उत्तराधिकार अधिक मात्रा में कम हो सकता है।

तीसरे, यह कानून व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति पर अनियंत्रित सबूत-परक अधिकार देता है। सैद्धांतिक दृष्टि से देखे तो यह व्यवस्था स्त्री-पुरुष के बीच कोई फर्क उत्पन्न नहीं करती परंतु व्यवहार में इस व्यवस्था का उपयोग महिला वारिसदारों को उत्तराधिकार न मिले, इस हेतु किया जा सकता है। १९५६ के बाद हिन्दू उत्तराधिकार

कानून में पांच राज्यों ने सुधार किये हैं।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्रियों का समावेश सहसमांशी के रूप में किया गया है। २००४ के संशोधन मसौदे में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जबकि केरल में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। अन्य राज्यों में मूल कानून ही लागू होता है और किसी भी राज्य में खेती की जमीन संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया।

२००४ के संशोधन मसौदे की कमियां

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने जो संशोधन किये हैं उसी प्रकार के संशोधन करना २००४ के मसौदे में दर्शाए गए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार कानून में स्त्री-पुरुषों के बीच की असमानता दूर करने का कोई सर्वग्राही प्रयास नहीं किया गया। सर्वप्रथम तो खेती की जमीन के बारे में जो असमानता विद्यमान है उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। खेती की जमीन तो ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्ति में सबसे महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। खेती की जमीन में यदि स्त्री-पुरुष समानता उत्पन्न हो तो उससे मात्र स्त्री का ही नहीं, वरन समग्र परिवार की गरीबी का जोखिम घट सकता है, स्त्री के जीवन निर्वाह के विकल्प बढ़ सकते हैं, बालकों के जीवित रहने के अवसर बढ़ सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़ सकता है, घरेलू हिंसा घट सकती है और स्त्रियां सक्षम हो सकती हैं। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि हिन्दू उत्तराधिकार कानून में सुधार करते समय खेती की जमीन के तमाम धारकों को कानून के कार्यक्षेत्र के अधीन समाहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य स्तर पर स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभावमूलक बंटवारा दूर करने हेतु बँटाई के कानूनों में संशोधन करना भी इतना ही महत्त्वपूर्ण है।

दूसरे, २००४ का संशोधन मसौदा कई स्त्रियों का दूसरी कई स्त्रियों के विरुद्ध पक्षपात करता है। खास बात यह है कि यह सुधार अमल में आने पर सुधार के परिणाम स्वरूप अविवाहित पुत्रियों को हिस्सा अधिक जाएगा। वह पिता जो सम्पत्ति वसीयतनामे से दूसरे किसी को नहीं दे सकता, ऐसी कितनी ही सम्पत्ति में सीधा हक पुत्रियों को देगा। परंतु यह संशोधन वर्ग-१ के अन्य महिला वारिसदारों के हिस्से में कमी करेगा। इनमें पुरुष की विधवा पत्नी और माता जैसी स्त्रियों का समावेश होता है। इसका कारण यह है कि वे जिस पुरुष का उत्तराधिकार पाते हैं वह मृत पुरुष के सहसमांशिता हिस्से में कमी करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये संशोधन कई मामलों में पुत्रियों व पुत्रों के बीच की असमानता में कमी करेंगे परंतु ये संशोधन कई मामलों में पुत्रियों और अन्य स्त्रियों के बीच की असमानता में वृद्धि करेंगे। इस अर्थ में देखे तो यह संशोधन मसौदा त्रुटियुक्त है। केरल में जैसे किया गया है वैसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को पूर्णतः समाप्त करने का अधिक समतावादी कदम उठाया जाना चाहिए था। तीसरे, २००४ का मसौदा टेस्टेशन संबंधी अनियंत्रित अधिकारों को चालू रखता है। आधी अथवा २/३ सम्पत्ति पर सबूत परक अधिकार नियंत्रित रखने की पद्धति यूरोप में और भारत में अमुक पद्धतियों में दिखती है। उसकी व्यवस्था इस संशोधित मसौदे में की गई होती तो वह सही दिशा में एक कदम माना जाता।

विधि आयोग ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में किये जाने वाले सुधारों हेतु प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थीं। इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं में से ८१ प्रतिशत ने खेती की जमीन को लेकर उत्तराधिकार में स्त्री-पुरुष समानता लाने की तरफदारी की थी। इसके उपरांत, संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नाबूद करने की सिफारिश भी बहुत से लोगों ने की थी। परंतु इन दोनों मुद्दों के बारे में आयोग ने रूढ़ दृष्टिकोण अपनाया है। उसने खेती की जमीन का स्पर्श तक नहीं किया और पुत्रियों को सहसमांशी बनाने की सिफारिश की है।

सुश्री इन्दिरा जयसिंह
वरिष्ठ वकील, सर्वोच्च अदालत

इस कानून में जो संशोधन सुझाये गये हैं, उनमें पुत्री को पूर्वजों की सम्पत्ति में जन्म से ही कोपारसिनर बनाने का प्रयास किया गया है। परंतु इस सुधार से मात्र ऐसी स्त्रियों को ही लाभ होगा, जो पूर्वजों की सम्पत्ति वाले घरों मे जन्मी हैं। पूर्वजों की सम्पत्ति की कोई निश्चित व्याख्या नहीं। संयुक्त परिवार प्रथा बहुत लंबे समय से घट

शेष पृष्ठ 29 पर

गुजरात का बजट : कुछेक सामाजिक पहलू

गुजरात सरकार का २००५-०६ वर्ष का बजट वित्त मंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट के कुछेक सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण यहां **श्री हेमन्तकुमार शाह** के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के बजट के मूल दस्तावेज पर आधारित है।

प्रस्तावना

प्रति वर्ष राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करती है। बजट राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह विकास की दिशा और स्वरूप को दर्शाता है। गुजरात सरकार के समग्र बजट में से सामाजिक विकास दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कुछेक पहलुओं का यहां विश्लेषण किया गया है।

पंचायतों को कुल व्यय के १० प्रतिशत से भी कम अनुदान

गुजरात राज्य सरकार पंचायतों को अनुदान देती है। जिस प्रकार केन्द्र सरकार से राज्य सरकार अनुदान प्राप्त करती है, उसी भाँति वह पंचायतों को अनुदान देती है। गुजरात सरकार के २५ विभागों में यह अनुदान देने वाले विभाग इस प्रकार हैं :

(१) कृषि एवं सहकारिता
(२) शिक्षा
(३) वित्त
(४) सामान्य प्रशासन
(५) खेलकूद, युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति
(६) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
(७) महिला एवं बाल विकास
(८) उद्योग एवं खान
(९) पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास
(१०) राजस्व
(११) सड़कें एवं भवन
(१२) नर्मदा, जल संसाधन और जल व्यवस्था
(१३) सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता

इन विभागों के द्वारा जो अनुदान प्रदान किया जाता है, उसका ब्यौरा देखने पर ऐसा लगता है कि पंचायतों को बहुत कम अनुदान प्रदान किया जाता है। सभी स्तरों की पंचायतों को जो अनुदान मिलता है, वह राजस्व सरकार के कुल व्यय की १० प्रतिशत से भी कम राशि है। फिर, इस राशि में पंचायतों के सभी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और पेंशन आदि का समावेश होता है। इसे देखते हुए पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु जो अनुदान मिलता है, वह बहुत कम है, ऐसा कहा जा सकता है। पंचायतों को देय अनुदान में वृद्धि करने के बजाय कमी की गई है। २००५-०६ में सरकार अपने कुल व्यय में से मात्र ९.१५ प्रतिशत राशि ही पंचायतों को अनुदान के रूप में देगी। पर यह राशि २००४-०५ में ९.३८ प्रतिशत थी।

२००३-०४ में पंचायतों को दी जाने वाली राशि बहुत कम थी। वैसे सरकार के बजट विषयक दस्तावेज में सामान्य शिक्षण हेतु जो राशि पंचायतों को दी जाती है उसका समावेश इस अनुदान की राशि में नहीं किया गया था। यदि इसका समावेश किया जाए तो इस राशि का प्रतिशत लगभग इतना ही होता है।

राज्य सरकार के जिन १३ विभागों में से पंचायतों को अनुदान दिया जाता है, उनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भी है। इस विभाग में से खास अंगभूत योजना (स्पेशियल कम्पोनेंट प्लान - एससीपी) के मुताबिक अनुसूचित जातियों के विकास हेतु पंचायतों को अनुदान दिया जाता है। २००३-०४ में यह राशि २१५२ लाख रु. थी। २००४-०५ में यह बढ़कर २३५६ लाख हुई थी और २००५-०६ हेतु २८८४ लाख रुपयों का अनुमान हुआ है। इस प्रकार इस राशि में पिछले तीन वर्षों में वृद्धि हुई है।

इसी विभाग के द्वारा आदिवासी क्षेत्र उप योजना का क्रियान्वयन आदिवासी अंचल के विकास हेतु किया जाता है। २००३-०४ में इस योजना के अधीन पंचायतों को जो अनुदान दिया गया था, वह राशि १६७ करोड़ रु. थी। २००४-०५ में यह राशि ६८७ करोड़ रु. हो गई। इस विशाल वृद्धि दिखने का कारण यह है कि इस वर्ष ५०५ करोड़ के लगभग राशि तो मात्र मार्गों और पुलों हेतु प्रदान की गई थी। २००५-०६ हेतु अनुदान ३२७ करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया था। वैसे २००३-०४ की बजाय यह राशि लगभग दुगनी है। अर्थात् आदिवासी क्षेत्र उप योजना (ट्राइबल एरिया सब प्लान - टीएएसपी) हेतु पंचायतों को देय अनुदान में वृद्धि हुई है।

पालिकाओं को व्यय की दो प्रतिशत राशि का अनुदान

पालिकाओं के लिए आयका महत्त्वपूर्ण साधन अनुदान और लोन है। गुजरात सरकार प्रति वर्ष पालिकाओं को अनुदान और लोन देती है, जो राज्य सरकार अपने छः विभागों के मार्फत देती है। वैसी सबसे अधिक अनुदान और लोन तो शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की तरफ से ही पालिकाओं को प्राप्त होता है। पालिकाओं को प्राप्त होने वाला अनुदान राज्य सरकार के कुल खर्च के दो प्रतिशत से भी कम २००५-०५ वर्ष हेतु सोचा गया था। गत वर्ष की तुलना में यह मामूली वृद्धि दर्शाता है।

दूसरी तरफ, गुजरात में शहरी आबादी की तादाद ३५ प्रतिशत से अधिक है, पर राज्य सरकार पालिकाओं को २ प्रतिशत से भी कम अनुदान देती है,जो यह दर्शाता है कि नगरों की देखभाल उचित मात्रा में नहीं की जाती। ऐसा कहा जा सकता है कि यह भी नगरों में प्राथमिक सुविधाओं का अभाव होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग के बजट में २००५-०६ के वर्ष हेतु कमी की गई है। २००३-०४ में विभाग का कुल खर्चा ६२०.२६ करोड़ रु. था। २००४-०५ के लिए उसका संशोधित अनुमान ९०५.४६ करोड़ रु. का था। अब २००५-०६ हेतु रु. ६३५.४३ करोड़ का अंदाज रखा गया है। यह कमी शहरी विकास की योजनाओं के खर्च में कमी होने के कारण हुई है।

वित्त मंत्री ने २००५-०६ का बज़ट प्रस्तुत करते समय भाषण में कहा था कि राज्य सरकार ने २००५ को शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। शहरी विस्तारों की भावी योजना में महानगरपालिका, नगरपालिका और नगर नियोजन से संबंधित कानूनों में उपयोगी सुधार किये जाएंगे, ऐसी घोषणा वित्त मंत्री ने की थी। इसके अलावा, गुजरात शहरी अंतर-विभागीय कोष (जीयूईएफ) का गठन करने की घोषणा भी उन्होंने अपने बजट भाषण में की थी। ये बातें स्वागतयोग्य हैं।

तालिका -१

गुजरात सरकार द्वारा स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, महानगरपालिकाओं तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं को अनुदान व लोन

वर्ष	अनुदान और लोन की राशि राशि करोड़ों में	सरकार का कुल खर्च करोडों में	२ व ३ के संदर्भ में प्रतिशत करोडों में
२००२-०३	१८८९.२१	४२५०८.३७	४.४४
२००३-०४	८२८.२८	४०१४६.८७	२.०६
२००४-०५ (सु.अं.)	६२०.७३	३७९१४.४९	१.६४
२००५-०६ (ब.अं.)	७११.३०	३५७०२.१९	१.९९

स्रोतः (१) बजट परिशिष्ट, गुजरात सरकार (२) संक्षिप्त बजट, गुजरात सरकार
उल्लेखः अनुदान एवं लोन की राशि सभी वर्षों हेतु बजट अनुमान है।

गुजरात सरकार की प्राथमिकता शिक्षण नहीं

गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के व्यय का ब्यौरा संलग्न तालिका नं. २ में दिया गया है। विगत १० वर्षों में शिक्षा विभाग के कुल खर्च में ९७.५४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह दर्शाती है कि विगत १० वर्षों में भी यह व्यय दुगुना नहीं हुआ। विगत १० वर्ष में शिक्षा विभाग के बजट में प्रति वर्ष ७.६२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हाल में सरकार निरंतर यों कहती रही है कि उच्च शिक्षण पर सरकार कम ध्यान देना चाहती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहती है। लेकिन शिक्षा विभाग का बजट देखने पर यह बात सही नहीं लगती। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च १९९६-०६ के दौरान ९४.७६ प्रतिशत के करीब बढ़ा है और उच्च शिक्षण का खर्च ९९.६४ प्रतिशत के करीब बढ़ा है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग का खर्च १९९६-९७ में १०१७.३० करोड़ रु. था और २००५-०६ में १९८१.३३ करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया था। फिर १९९९-२००० के वर्ष में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च में १४.०८ प्रतिशत की कमी उसके गत वर्ष की तुलना में दर्ज थी। इसी भाँति २००३-०४ में ०.६२ प्रतिशत की कमी दर्ज थी।

शिक्षा विभाग के खर्च में २००५-०६ के बजट में ०.०७ प्रतिशत की थोड़ी सी आनुमानिक कमी की गई है। २००४-०५ में शिक्षा विभाग का कुल खर्च संशोधित अनुमान के मुताबिक ४२९०. ४५ करोड़ रु. है। जबकि आगामी वर्ष ४२८२.६८ करोड़ रु. का अनुमान है। परंतु प्राथमिक शिक्षा के खर्च में ५.२९ प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया है। २००४-०५ हेतु प्राथमिक शिक्षण के व्यय का संशोधित अनुमान १९८१.८३ करोड़ रु. का है। इस प्रकार इसमें लगभग १०० करोड़ रु. से भी ज्यादा राशि की कमी का अनुमान है। क्या प्राथमिक शिक्षा हेतु अधिक खर्च की जरूरत गुजरात में नहीं रही, ऐसा सरकार मानती है?

फिर उल्लेखनीय बात यह है कि २००५-०६ हेतु शिक्षा विभाग के बजट में कमी की गई है, उसमें भी सबसे ज्यादा कमी प्राथमिक शिक्षा के खर्च में की गई है। माध्यमिक शिक्षा पर खर्च २००५-०६ में २.०३ प्रतिशत घटेगा और उच्च शिक्षा पर लगभग १.५८ प्रतिशत घटेगा, जबकि प्राथमिक शिक्षा पर खर्च ५.२९ प्रतिशत घटने वाला है। तो फिर सरकार प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्त्व देती है, यह कैसे कहा जा सकेगा?

२००२-०३ में प्राथमिक शिक्षा में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या ८२.६४ लाख थी और उसके बाद के वर्ष में ८२.६५ लाख हो गई। इस तरह, उसमें मात्र १००० की वृद्धि हुई थी। कक्षा १ से ७ में शाला छोड़ कर जाने वालों का प्रतिशत २००२-०३ में ३७.८० था और २००३-०४ में ३६.५९ प्रतिशत था। इस तरह, इसमें मात्र जरा सी कमी दर्ज हुई थी। ऐसे संयोगों में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च घटाने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है?

तालिका-२
गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग का बजट

वर्ष	रु. करोड़	प्रतिशत वार बदलाव
१९९६-९७	२१७०.५२	—
१९९७-९८	२४६२.८६	१३.४७
१९९८-९९	३३३६.६४	३५.४८
१९९९-००	३४०८.१९	२.१४
२०००-०१	३९६८.४८	१६.४४
२००१-०२	३६३२.४९	-८.४७
२००२-०३	३९७५.१५	९.४३
२००३-०४	४०६५.१९	२.२६
२००४.०५ (सु.अं)	४२९०.४८	५.५४
२००५-०६ (ब.अं.)	४२८७.६८	-०.०७

स्रोतः अलग-अलग वर्षों के शिक्षा विभाग के बजट, गुजरात सरकार

शाला में प्रवेशोत्सव मनाया जाता है ताकि बालक प्राथमिक शिक्षा में भर्ती हों। इससे आगामी पांच वर्ष की अवधि में और ७० लाख बालक प्राथमिक शालाओं में दाखिल होंगे, ऐसा अंदाज है। अतः अधिक शिक्षकों की जरूरत तो पड़ेगी ही। पर सरकार ज्यादा चिंतित है ऐसा नहीं लगता। २००३-०४ में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु ३.९० करोड़ रु. व्यय का अनुमान लगाया गया था, पर एक पैसे का भी खर्च इस निमित्त नहीं हुआ। याने एक भी नये प्राथमिक शिक्षक की भर्ती इस वर्ष में नहीं हुई। २००४-०५ में १.७२ करोड़ रु. का व्यय शिक्षकों की भर्ती हेतु सोचा गया था, पर संशोधित बजट में मात्र ८८.५० लाख रु. रखा गया। अब २००५-०६ में कुल १२०० प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु ५.५५ करोड़ के व्यय का अनुमान रखा गया है। क्या यह खर्च पर्याप्त रहेगा?

वास्तव में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लगभग ३०,००० से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने की जरूरत है, तब प्राथमिक शिक्षा पर खर्च घटाने से परिस्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की बात का समावेश मूलभूत अधिकारों में करने की प्रवृत्ति स्वीकृत हो चुकी है, तब गुजरात सरकार जो रुझान दर्शा रही है वह कितना उचित है?

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट २००५-०६ के लिए २०१.२९ करोड़ रु.रखा गया है। जबकि २००४-०५ का संशोधित अनुमान २३१.५० करोड़ रु. का है। इससे १३.०५ प्रतिशत की कमी नज़र आती है। वैसे २००३-०४ में इस विभाग का कुल खर्च १९०.६२ करोड़ रु. था। इस विभाग में मुख्य सदर नं. २२३५ के अधीन सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु खर्च होता है। इसमें बाल कल्याण और महिला कल्याण के लिए खर्च होता है। बाल कल्याण हेतु खर्च २००४-०५ के संशोधित अनुमान के अनुसार २.४० करोड़ रु. है, पर अब इसमें २००५-०६ हेतु कमी की गई है और २.१० करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह महिला कल्याण हेतु २००४-०५ का संशोधित अनुमान ९०.७४ करोड़ रु. का है, पर २००५-०६ हेतु इसका खर्च मात्र ४७.७५ करोड़ रु. सोचा गया है। इस प्रकार, इसमें ४७.३२ प्रतिशत के करीब कमी हुई है।

महिला कल्याण हेतु बजट विषयक कुछेक विवरण उल्लेखनीय हैं:

(१) महिला मंडलों को २००३-०४ में ४० हजार रु. का अनुदान दिया गया था। २००४-०५ में बजर अनुमान ४० हजार रु. का रखा गया था, पर उसका संशोधन अनुमान बिल्कुल नहीं। २००५-०६ में भी इसके लिए एक रुपये का भी खर्च नहीं किया जाएगा।

(२) नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु ४९ लाख रु. का अनुदान २००४-०५ में स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जाता था। परंतु उसे २००५-०६ में घटा कर अनुमानतः १४.६७ लाख रु. का कर दिया गया है।

(३) निराश्रित विधवाओं के पुनर्स्थापन हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए ८४ करोड़ रु. का व्यय २००४-०५ में संशोधित अनुमान के अनुसार होना है। अब यह राशि २००५-०६ में अनुमानतः ३२.७४ करोड़ रु. की गई है। वास्तव में, महिला कल्याण के कुल बजट में जो कमी हुई है उसमें सबसे अधिक कमी इस सहायता में की गई है।

(४) सागभाजी बेचने वाली महिलाओं के संगठन हेतु २००४-०५ के संशोधित बजट में २.७० लाख रु. की वित्तीय सहायता अनुमानित थी। पर २००५-०६ में इसके लिए कोई भी राशि बजट में नहीं रखी गई।

(५) निराधार विधवाओं, परित्यक्ताओं और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु वित्तीय सहायता २००५-०६ के लिए ८.२० करोड़ रु. सोची गई है। यह राशि २००४-०५ हेतु मात्र १० करोड़ रु. संशोधित बजट के मुताबिक थी। इस तरह, इसमें बहुत अधिक कमी की गई है। १८ से ४० आयु वर्ग की लाभार्थी महिलाओं को गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम तथा गैर-सरकारी संगठनों के मार्फत प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद प्रमाण पत्र और ३००० रु. मूल्य के

उपकरणों की सहायता दी जाएगी। लगभग ४०,००० महिलाओं में से १०,००० महिलाओं को प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा, ऐसा बजट में बताया गया है।

(६) स्वयंसिद्धा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके लिए २००३-०४ में ८६.८० रु. लाख का खर्च हुआ है, अब २००५-०६ में मात्र २९ लाख रु. का ही बजट रखा गया है। इस प्रकार इस योजना के खर्च में भी काफी कमी की गई है।

इस विभाग में मुख्य सदर नं. २२३६ के अधीन पोषण हेतु खर्च होता है। २००३-०४ में इसके निमित्त १३१.५७ करोड़ रु. खर्च हुआ था। २००४-०५ का बजट अनुमान १४९.०१ करोड़ रु. का था, पर संशोधित बजट १३६.४५ करोड़ रु. का है। इस तरह, गत वर्ष बजट अनुमान से कम खर्च हुआ है। अब २००५-०६ हेतु १४३.५० करोड़ गत वर्ष का अनुमान रखा गया है। बजट अनुमान से इसके निमित्त इस वर्ष कम खर्च नहीं होगा, इसका क्या भरोसा? पोषण के अधीन होने वाले खर्च का कुछ विवरण निम्नानुसार है:

(१) समन्वित बाल विकास योजना हेतु २००३-०४ में २९.५८ करोड़ रु. का खर्च हुआ था। २००४-०५ हेतु उसका बजट अनुमान ४० करोड़ रु. था, पर संशोधित बजट ३८.५२ करोड़ रु. का है। इस तरह, इसमें थोड़ी कमी हुई है। फिर २००५-०६ में इसमें ३६.१७ करोड़ रु. का बजट रखा गया है। इस तरह, गत वर्ष की बजाय चालू वर्ष में कम खर्च होने का अनुमान है।

(२) बालिका समृद्धि योजना केन्द्र पुरस्कृत योजना है। २००३-०४ में इसके लिए २ करोड़ रु. का खर्चा हुआ था। २००४-०५ में इसका बजट अनुमान और संशोधित बजट १० करोड़ रु. है। २००५-०६ में भी यही बजट रखा गया है।

(३) पांडु रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु २००४-०५ में बजट अनुमान १ करोड़ रु. रखा गया था, पर संशोधित बजट मात्र २८.७९ लाख रु. का ही है। अब २००५-०६ में फिर से १ करोड़ रु. का बजट रखा गया है। क्या इतनी राशि खर्च होगी?

स्त्री-पुरुष समानता हेतु गुजरात की राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसा बार-बार कहा जाता है। पर महिलाओं के विकास संबंधी योजनाओं हेतु जब कम व अपर्याप्त बजटीय व्यवस्था की जाती है, तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह प्रतिबद्धता सचमुच कितनी है?

पृष्ठ 15 का शेष भाग

भोजन में इल्लियां, कंकड़ व घुन निकलते हैं। वे अनाज साफ नहीं करते। वे खाने में जो भात बनाते हैं, वह थोड़ा-थोड़ा देते हैं। दलिये में इल्लियां आने पर बच्चे नहीं खाते तो साहब उन्हें पीटते हैं। आदिवासी बालक ४ कि.मी. दूर से आते हैं और पूरे दिन भूखे रहते हैं। संचालक को मीटिंग में बुलाया तो वह आया नहीं।

यह किसकी जिम्मेदारी?

झापटिया की गुलीबहेन गोरधनभाई पास के जंगल से लकड़ी काट कर अपना गुजारा चलाती है। इस समय वह टी.बी. की मरीज है। पति को लंबी बीमारी के बाद अब टी.बी. है। अब थोड़ा काम कर सकता है। गुलीबहेन की बात सुनकर किसी की भी आंख में पानी आ जाता है। उनका पति बहुत बीमार पड़ गया, अतः उसकी तीन दिनों तक देखभाल करनी पड़ी। इस वजह से वह काम पर नहीं जा सकी। घर में खाने को कुछ न था और पैसे भी नहीं थे। एक वर्ष की पुत्री को कुछ भी खाने को नहीं दे सके। चार दिनों बाद काम पर जाकर उसे खाने को दिया लेकिन तीन दिन की भूखी पुत्री खाना पचा न सकी। आखिरकार वह मर गई। इनके पास अभी ए.पी.एल. कार्ड है। इन्हें अंत्योदय योजना किस तरह दिलाई जाए?

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजनः सामाजिक भेदभाव के विषय में जागरूकता कार्यक्रम

प्रति वर्ष ८ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गुजरात में और राजस्थान में भी 'उन्नति' के द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करके महिला दिवस मनाया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भेदभाव के विषय में लोगों में जागरूकता लाना था। साथ ही स्वशासन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सहभागिता बढ़े यह भी कार्यक्रम का उद्देश्य था। इन कार्यक्रमों के बारे में विगतवार इस लेख में चर्चा की गई है।

प्रस्तावना

अपने देश में युगों से स्वशासन और पंचायतों की भावना प्रवर्तित रही है, परंतु १९९३ में ७३वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्तर की विकेन्द्रित लोकशाही को नया ही अर्थ दे दिया। कदाचित सामाजिक न्याय करने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं जैसे जो समूह ऐतिहासिक दृष्टि से विकास की प्रक्रिया में और निर्णय की प्रक्रिया में एक तरफ धकेल दिये गए थे, उनके लिए आरक्षण रखा गया।

उसके बाद के वर्ष से 'उन्नति' गुजरात और राजस्थान में सामाजिक न्याय के साथ स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के साधन स्वरूप पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत करने का बहुपक्षीय प्रयास कर रही है। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों का समावेश स्थानीय स्वशासन की निर्णय प्रक्रिया में हो, यह हमारी दस्तंदाजी का एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है। वास्तव में, महिलाओं संबंधी अवकाश, अब भी एक ऐसा पक्ष बना हुआ है कि जिसमें आज भी सामाजिक प्रतिकार की परिस्थिति बहुत है। हमारी विविध दस्तंदाजियों के दौरान हमें प्रत्येक स्तर पर समाज में गहराई तक घुस चुके इस सीमांतीकरण का सामना करने की नौबत आई है। बिल्कुल रुचि न लेते हों, नितांत निरुत्साही हों और बिल्कुल आत्म विश्वास न रखते हों, ऐसे डमी उम्मीदवारों के स्वरूप में वह सीमांतीकरण दिखाई दिया है।

हमारे समस्त हस्तक्षेपों में महिलाओं को मुख्य प्रवाह में लाने का मुद्दा अंतर्निहित रहता है। परंतु हमने पंचायती राज के प्रतिनिधियों में और दूसरी तरफ व्यापक ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव विषयक दृष्टिकोण विकसित करने संबंधी विशिष्ट प्रयास किये हैं। इन प्रयासों के भाग के रूप में प्रति वर्ष महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। स्त्री-पुरुष के बीच के सामाजिक भेदभाव बाबत संवेदनशीलता उत्पन्न करने संबंधी प्रक्रिया और स्वशासन में इस विषयक दृष्टिकोण लंबी अवधि के हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम प्रत्येक आयोजन का उपयोग एक मार्गरेखा के रूप में करते रहे हैं।

गुजरात में महिला दिवस आयोजन में प्रति वर्ष हुए परिवर्तन

फरवरी-मार्च, २००२

दिसंबर २००१ में आयोजित ग्राम पंचायतों के चुनावों ने ७३वें संविधान संशोधन और गुजरात पंचायत अधिनियम - १९९३ के बाद दूसरी बार महिला नेता खड़े किए गए। अधिकांश महिलाएं आरक्षित पदों पर चुन कर आई थी और पहली ही बार पद संभाल रही थी। ऐसे समय में उनकी नयी पहचान को सिर्फ पुरुष, ग्रामवासी या सरकार ही मान्यता दें, यह जरूरी नहीं था, वरन् वे स्वयं अपने को पहचाने, यह जरूरी था। अतः हमने विशाल सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित करना निश्चित किया था कि जिससे उनके अपने मस्तिष्क में और साथ ही अन्य लोगों के मस्तिष्क में उनके पद का विशेष महत्त्व पैदा हो।

२००३ में आयोजन

१२ व १३ मार्च २००३ के दौरान दो दिनों का एक राज्य स्तरीय पंचायत महिला महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया गया। उसमें ३०० सरपंच, ६३ पंचायत सदस्य, ५ भूतपूर्व सरपंच, १९ उप-

सरपंच और स्वयं-सहायता समूहों के ४० नेताओं सहित ७५० महिलाओं ने इस महोत्सव भाग लिया था। वे १९ जिलों के ४७८ गाँवों से आए थे। अनेक गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इस महोत्सव में उपस्थित थे। महिला नेताओं ने उसमें अपनी सामूहिक ताकत बढ़ाई और आमोद-प्रमोद किया। पर साथ ही साथ उनके पद को एक वर्ष पूरा होने पर परिस्थिति की समीक्षा करने और आगामी वर्षों के लिए ऊर्जा एकत्रित करने का एक उपयुक्त अवसर था। महिला सरपंचों के विविध अनुभवों का दस्तावेजीकरण और विकास के विविध पहलुओं के बारे में अनौपचारिक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। साथ ही साथ उनको प्रेरणादायी प्रवचन भी आयोजित किये गए थे, सक्रिय महिला सरपंचों ने अपने अनुभव की बातें बताई, सरकारी अधिकारियों और पंचायती राज के विशेषज्ञों के साथ प्रश्नोत्तर भी हुआ, खेल खेले गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गए। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में तथा महिलाओं के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना केन्द्र में रहा।

२००४ का आयोजन

गत वर्ष के अनुभव और क्षेत्रीय विस्तारों में हुई बातचीत से यह अनुभव हुआ कि ५ से १० गाँवों में अनेक छोटे-छोटे समूहों में सघन कार्यक्रम करने की जरूरत है। परिणामस्वरूप अहमदाबाद जिले में दसक्रोई, धोलका और वीरमगाँव तहसीलों में लगभग १ माह तक यह उत्सव चलाया गया। साबरकांठा में मोडासा और ईडर तहसीलों में तथा अहमदाबाद जिले में धोलका और साणंद नगरों में इस प्रकार के आयोजन किये गए। प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक समूह में पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि और स्वयं-सहायता समूहों के सदस्य उपस्थित थे। अनुभव ऐसा रहा है कि स्वयं सहायता-समूहों में से जो महिला प्रतिनिधि आते हैं वे और घरेलू कामकाज के बाहर महिलाओं के जो समूह सक्रिय होते हैं, वे निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को मजबूती से सहयोग प्रदान करते हैं। वे निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और बुनियादी सेवाएं महिलाओं को प्राप्त हों, तथा उनकी जरूरतों के साथ वे अधिक अनुकूल बनें, इसके लिए ग्राम सभा के सदस्यों की भूमिका पर देखरेख रख सकते हैं। वे परिवर्तनकारी तरीकों से काम करते हैं। और गाँव के भीतर की अन्य महिलाओं के साथ की रोज-रोज की बातचीत में उनकी विचार प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक स्थान पर लगभग ६० से ७० महिलाओं ने इसमें उपस्थिति दी थी और इस प्रकार लगभग २००० महिला नेताओं का इस कार्यक्रम के अधीन शामिल किया गया था।

इस प्रयास में महिलाओं के अनुभवों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया था। अधिक समतापूर्ण समाज निर्मित करने के लिए स्वयं उनमें और उनके आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने हेतु उन्हें प्रेरणा देने के लिए इन कार्यक्रमों में सहभागी प्रयास किये गए थे। आयोजन का उद्देश्य यह था कि उन महिलाओं को वर्ष में कम से कम एक दिन अपने ढंग से बिताना जरूरी है, ऐसा उन्हें अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो वे अपने पुरुषों हेतु और परिवार के कल्याण हेतु अनेक काम करती हैं और अनेक उपवास करती हैं। दूसरा एक मकसद यह था कि महिला नेताओं को बालिकाओं और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे समारोह महिला नेताओं को अधिक साहसी नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार करने में और उन सबको एक होने में मदद करते हैं।

प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के दौरान इस आयोजन के उपरांत महिला सहभागियों का थोड़ा समय और ऐसा अवसर मिला कि जिसमें वे अपनी स्थिति के बारे में विचार कर सकें और उस स्थिति के पीछे निहित कारणों के बारे में सोच सकें। उन्होंने स्वयं अपने अनुभव याद किये और अपने साथ हुए भेदभाव के प्रसंगों को भी याद किया। इसके पश्चात् उन्होंने स्वयं जिस रीति से कर सकती हैं, उस रीति से परिवर्तन लाने और विशेष रूप से अपनी मानसिकता को बदलने तथा अपनी पुत्रियों को अधिक स्वतंत्रता व अवसर प्रदान करने और अन्य महिलाओं के साथ ग्राम सभाओं में भागीदार होने हेतु उन्हें प्रेरणा देने का दृढ़ निश्चय किया। कार्यक्रम के अंत में सहभागियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और परस्पर सहानुभूति के भाव सुस्पष्ट दिखते थे।

१५ मार्च को ग्राम पंचायत की महिला प्रतिनिधियों के तहसील स्तरीय मंडलों के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक थी और उसमें अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया था।

विश्व ग्रामीण महिला दिवस : सितंबर - अक्टूबर, २००४

१५ अक्टूबर विश्व ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। छः माह पूर्व यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसे चालू रखने का और सघन कार्यक्रमों का प्रभाव उत्पन्न करने का अवसर इस निमित्त हम पर आ गया। सहभागियों ने अपने काम के घंटों, काम के प्रकार और उनके बहुविध कामों का विश्लेषण किया और उस दौरान पुरुषों की काम करने की आदतों और काम के घंटों की तुलना भी की। फिर सामूहिक वाचन और अपनी कहानियों के आदान-प्रदान फ्लेश-कार्ड द्वारा किए गए और महिला नेताओं की समस्याओं की चर्चा की गई। इन आयोजनों में अहमदाबाद जिले की दसक्रोई, धोलका, और वीरमगाम तहसीलों तथा साबरकांठा जिले की ईडर, खेडब्रह्मा, प्रांतिज, मोडासा और हिम्मतनगर तहसीलों से लगभग ८०० से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था।

२००५ का आयोजन

पूर्व के कार्यक्रमों से आगे बढ़कर इस वर्ष के आयोजन में पुरुषों को भी शामिल किया गया। स्त्री-पुरुष समानता उत्पन्न करने हेतु पुरुषों को भी संवेदनशील बनाना इतना ही जरूरी लगा है। इस तरह इस आयोजन में लगभग ३००० से अधिक स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया था। जो कार्यक्रम आयोजित किये गए थे, उनका विवरण साथ की तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम की प्रवृत्तियां

भवाई :

कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग भवाई था। उसमें स्त्रियों पर की जाने वाली हिंसा और उसके परिणामों के बारे मे व्यंग्यात्मक रूप से अत्यंत प्रभावी प्रस्तुति की गई थी।

क्विज :

इस कार्यक्रम हेतु खास तौर पर क्विज तैयार किया गया था। उसका उद्देश्य नाट्यात्मक रूप से सूचनाएं प्रदान करना और उनका आदान-प्रदान करना और उनके अंदर विचार प्रक्रिया आरंभ करना था। इस क्विज में विविध क्षेत्रों में सिद्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं

क्रम	तारीख	ग्राम-नगर	तहसील	जिला
१.	४-२-०५	खेड़ब्रह्मा	—	साबरकांठा
२.	२-३-०५	अ. राजपुर ब. भाट	अ. धोलका ब. दसक्रोई	अहमदाबाद
३.	४-३-०५	कुमारखाम वीरमगाम	विरमगाम	अहमदाबाद
४.	५-३-०५	ईडर	ईडर	साबरकांठा
५.	८-३-०५	अ. धोलका ब. ओड	अ. धोलका ब. दसक्रोई	अहमदाबाद
६.	१०-३-०५	मोडासा	मोडासा	साबरकांठा
७.	१२-३-०५	अ. रनोडा ब. कुहा	अ. धोलका ब. दसक्रोई	अहमदाबाद
८.	७-३-०५	विजयनगर	—	साबरकांठा
९.	१४-३-०५	लांबड़िया मटोडा	खेड़ब्रह्मा	साबरकांठा
१०.	२२-३-०५	प्रांतिज	प्रांतिज	साबरकांठा
११.	११-३-०५	जिला प्रशासनिक तंत्र द्वारा आयोजित		गांधीनगर

महिलाओं की खराब और बिगड़ती जाती सामाजिक परिस्थिति, महिलाओं के उत्थान हेतु काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं द्वारा होने वाला बेमिसाल अथवा गैर-परंपरागत कार्य, महिलाओं की रक्षा संबंधी कानूनों और महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी बातों को शामिल किया गया था।

पंचायत क्विज :

पंचायती राज संबंधी और विशेष रूप से पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका संबंधी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह क्विज खेला गया था। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग समूहों में यह क्विज खेला गया था और इसमें सहभागियों को आनंद आ रहा था।

साँप-सीढ़ी :

इस खेल द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में संदेश दिये गए थे। अपने आकर्षक स्वरूप के कारण इसने मुख्य रूप से आंतरिक खेल

के बतौर और उत्साह पैदा करने वाली क्रीडा के रूप में भूमिका अदा की थी।

पंचायत की बैठक संबंधी फिल्म :

पंचायत की बैठक के विषय में १० मिनट की एक लघु फिल्म दिखाई गई। आयोजन में और इसकी व्यवस्था में पंचायत के सदस्यों को सक्रियता के साथ भाग लेते दर्शाया गया था। फिल्म नयी थी अतः यह एक प्रायोगिक प्रदर्शन था। पिल्म के बारे में अच्छी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी।

रस्साकशी :

उत्साह उत्पन्न करने और आयोजन का आनंद मनाने के लिए यह खेल अत्यंत सफलतापूर्वक खेला गया था। इसने सम्पूर्ण वातावरण में उत्साह भर दिया था और सबों को इसमें आनंद आया था। वैसे इसमें स्त्रियों ने ही भाग लिया था और पुरुष दर्शक बने थे।

संकल्प :

सभी सहभागियों द्वारा महिलाओं के प्रति रखे जाने वाले भेदभाव के बारे में संवेदनशील बनने के लिए कार्यक्रम के अंत में संकल्प लिया था।

सभी गाँवों में पंचायत ने मंडप, माइक, भवाई, के कलाकारों तथा गाँव से आए लोगों हेतु चाय-नास्ते आदि की व्यवस्था की थी। पंचायतों को इस कार्यक्रम के एक आयोजक के रूप में निमंत्रण पत्र भेजा गया था। अहमदाबाद जिले की वीरमगाम तहसील पंचायत ने तहसील के सभी कार्यक्रमों के पीछे का खर्च समान रूप से वहन किया था। सभी संबंधित पक्षकार इस कार्यक्रम की उपयोगिता को समझते थे।

वर्षों के अनुभव का बोधपाठ

इन वर्षों के दौरान महिला दिवस मनाने के कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु बदलता गया है। आरंभ में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केन्द्र में थीं, फिर निर्वाचित महिला प्रतिनिधि गाँव के समुदाय की महिलाओं के साथ अग्रणी भूमिका निभाती थी। और सामाजिक भेदभाव के बारे में संवेदनशीलता उत्पन्न करने की प्रक्रिया में

महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का समावेश करने की भूमिका वे निभाती थी। हमारे अनुभवों से हमें निम्न प्रकार के महत्त्वपूर्ण सबक मिले हैं:

(१) अनेक पहलुओं के बारे में अल्प अवधि में प्रभावी रूप से संदेश प्रदान करने में भवाई जैसी लोक कला के स्वरूप मददगार सिद्ध होते हैं। जब किसी प्रश्न विषयक समझ के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है, तब बहुत उत्तम रूप से संदेश पहुँचा सकती है। उसके अलावा, लोगों के लिए भी इन मुद्दों को समझ पाना अधिक आसान हो सकता है। सहभागियों ने जो प्रतिकियाएं दी, उनसे यह समझ अधिक स्पष्ट होती है। महिलाओं के सामने अब ऐसे दृश्य आते हैं कि वे श्रेष्ठ सरपंच बन सकती हैं और पुरुषों की अपेक्षा वे ज्यादा काम करती हैं, पर उनके काम का कभी भी सही मूल्यांकन नहीं किया जाता, तो ऐसे मुद्दों पर महिलाएं बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाती हैं। अमुक अवसरों पर उन्होंने यों भी कहा कि 'हां, सचमुच ऐसा ही होता है।' भवाई में जब यों कहा जाता है कि महिलाएं डमी उम्मीदवार होती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तब पुरुष भी स्वीकृति में सिर हिलाते हैं। प्रतिक्रिया में महिलाओं ने यों भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा किये जाने चाहिए, क्योंकि इनसे महिलाओं और पुरुषों में जागृति आती है।

(२) कोई केन्द्रित कार्यक्रम बड़े पैमाने पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों जैसे निश्चित समूह की जरूरतें पूरा कर सकता है परंतु विकेन्द्रित कार्यक्रम विशाल ग्रामीण समुदाय में जागरूकता फैलाने के संदर्भ में अधिक प्रभावी बनता है, क्योंकि हम उनके गाँव में विभिनेन्न मुद्दों के विषय में बातचीत करते हैं। ऐसा कार्यक्रम पुरुषों, स्त्रियों, परंपरागत नेताओं, वरिष्ठ नागरिकों, स्वयं-सहायता समूहों और समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों सहित सभ्य समाज को बड़े स्तर पर शामिल करने में सफल होता है।

राजस्थान में आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में 'उन्नति' द्वारा १५-३-०५ को एक महिला उत्सव का आयोजन किया गया था। जोधपुर में

अग्रसेन वाटिका पर आयोजित इस कार्यक्रम में जोधपुर जिले की लगभग ४०० महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें जिले की सभी तहसीलों के सरपंचों, सदस्यों, जिला पंचायत के सदस्यों, तहसील पंचायत के सदस्यों और प्रमुखों आदि ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य थे :

(१) महिला दिवस की भूमिका और महत्त्व के बारे में जानकारी हो और जागरूकता बढ़े।

(२) महिलाओं की समस्याओं की गंभीर परिस्थिति के प्रति पंचायतों की महिला सदस्यों को संवेदनशील बनाना।

(३) पंचायतों की महिला सदस्यों की सार्वजनिक समस्याओं और विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं के बारे में भूमिका स्पष्ट करना।

इस उत्सव में आने वाली महिलाओं का कार्यक्रम स्थल पर ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। उन्हें तिलक एवं माल्यार्पण के उपरांत सभा स्थल पर पहुंचाया गया। इससे उन्हें आत्म-गौरव का

एहसास हुआ। अनेक संगठनों ने द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों को उन्होंने देखा। वे उनके लिए ज्ञानवर्धक थे। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती रेखा वैष्णव द्वारा सबका स्वागत किया गया और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया गया। जयपुर से आईं विशेषज्ञा श्रीमती अनीता माथुर ने अपने संबोधन में स्त्री-पुरुष भेदभाव और सामाजिक मान्यताओं की चिंताजनक परिस्थिति के बारे में बात की।

श्रीमती कमला रंगा ने सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका और चुनौती विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। तदुपरांत सुश्री बरुणा दत्ता ने महिलाओं संबंधी कानून और घरेलू हिंसा के बारे में बात की। इसके बाद, दूसरे कई वक्ताओं ने महिलाओं से अपनी स्थिति सुधारने के लिए आगे आने का आह्वान किया।

बाद में पंचायत के ९ सदस्यों ने अपने अनुभव प्रस्तुत किये। उन्होंने स्वयं पंचायत सदस्यों की साक्षरता वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने किसी भी कागज पर बिना सोचे हस्ताक्षर या अंगूठा न लगाने का भी आह्वान किया। यदि कोई स्वयं पढ़ न सके तो अपने घर के या गाँव के दूसरे व्यक्ति से कागज पढ़वाने के बाद ही हस्ताक्षर करें। ऐसा नहीं होगा तो वे षडयंत्र की शिकार होंगी, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी।

श्रीमती कमला रंगा ने यह भी कहा कि पंचायत में उन्हें स्वयं देश में ३३ प्रतिशत आरक्षण महिलाओं हेतु होने पर भी संख्या कम लगती है, पर इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में पंचायत सदस्यों की इकट्ठी देखकर उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आज लगता है कि पंचायती राज में महिलाओं की संख्या कम नहीं, हम सब मिलकर विकास हेतु और विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं हेतु आगे बढ़ सकेंगी।

पृष्ठ 18 का शेष भाग

रही है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि इस कानून से किसे लाभ होगा। इसके उपरांत, स्वयं प्राप्त की गई सम्पत्ति पर यह सुधार लागू नहीं पड़ता। आज अधिकांशतः सम्पत्ति स्वयं प्राप्त की हुई होती है। इस सुधार में कोई हिन्दू पुरुष वसीयतनामे द्वारा अपनी पत्नी अथवा पुत्री को स्वयं प्राप्त सम्पत्ति न दे, ऐसा हो सकता है। जो स्त्रियां संयुक्त परिवार में ब्याही गयी हैं, उनकी परिस्थिति वास्तव में अधिक खराब होगी। पुत्रियों को पुत्रों के साथ ही जन्म से अधिकार प्राप्त है, पर यह अधिकार वे चाहें जब छोड़ सकती हैं। और उससे संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार भी उतनी ही मात्रा में घट जाते हैं। १९५० के दशक में किये गए सुधारों से तलाक ली हुई पत्नी को गैरलाभ होता था। अब इस सुधार से विवाहिता स्त्री को भी गैरलाभ होगा। इसी भाँति विधवा स्त्रियों को भी मुसीबत पेश होगी। हिन्दू कानून के अनुसार पत्नियों को विवाह संबंध की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अतः उनको पति की मृत्यु के बाद पुत्री व पुत्रियों के साथ समान हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। पर यदि तलाकशुदा हो तो उत्तराधिकार का अधिकार भी जाता रहता है।

सुश्री बेतवा शर्मा
विद्यार्थी, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट, भोपाल

प्रस्तावित संशोधन पहली बार पुत्री को कोपारसिनरी बनाता है। इसका अर्थ यह है कि पूर्वजों की सम्पत्ति में उन्हें समान हिस्सा पाने का अधिकार मिला है। परिवार में जन्म लेने के कारण ही वह कोपारसिनर बनती है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग एक वर्ष पूर्व ऐसा निर्णय दिया था कि पिता अपनी पुत्री को उसके विवाह के समय अथवा विवाह के बाद अपने पूर्वजों की स्थावर सम्पत्ति का कोई भाग दे सकता है। परंतु इस सुधार का अर्थ यह है कि पुत्री को स्वतंत्र अधिकार है और उसे पिता की उदारता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्त्री संयुक्त हिन्दू परिवार में कर्ता बन सकती है। सम्पत्ति में अपने भाग की मांग करने की मंजूरी स्त्री को अब तक नहीं थी। अब धारा २-३ रद्द होने पर उसे यह छूट मिलेगी। सम्पत्ति में स्त्री का अधिकार अब प्रस्तापित होने से दहेज जैसे सामाजिक दूषण के घटने की संभावना रहेगी। जिन संयुक्त परिवारों में स्त्री ब्याही जाती है, बाद में भी सम्पत्ति में उसका हित सुरक्षित रहे इस बारे में कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

'एकल नारी शक्ति मंच' का आंदोलन

थोड़े समय पूर्व विधवा, निराधार व परित्यक्ता जैसी एकाकी महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की जो योजना चल रही थी उसमें गुजरात सरकार ने भारी परिवर्तन किये थे। इन परिवर्तनों से लाभार्थी महिलाओं पर बहुत विपरीत असर हो रहा था। उसके विरुद्ध 'एकल नारी शक्ति मंच' द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया का आलेखन इस लेख में किया गया है। इस दबाव के वशीभूत सरकार ने बेशक योजना में कुछ परिवर्तन किये हैं, परंतु अभी भी मंच का आग्रह है कि सरकार अपने निर्णय वापिस ले।

अहमदाबाद में महा सम्मेलन

पांच मार्च २००५ को अहमदाबाद में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें लगभग २००० एकाकी महिलाओं ने भाग लिया था और गुजरात सरकार की गतिविधि के समक्ष विरोध व्यक्त किया था। यह विरोध आंदोलन को गति देने हेतु आयोजित किया गया था। एकाकी महिलाओं में एकता स्थापित हो और वे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें, ऐसा विश्वास पैदा होना भी इस आयोजन का एक उद्देश्य था।

कच्छ, अहमदाबाद, पंचमहाल, बनासकांठा, आणंद और साबरकांठा जिलों की महिलाएं इस सम्मेलन में भाग लेने आई थीं। इन सहभागी महिलाओं ने बताया कि १९९१ से नयी आर्थिक नीतियां अमल में आई हैं, तभी से समाज के पिछड़ गए वर्गों के लिए इसी तरह की नीतियां अपनाई जा रही हैं। इन वर्गों को अपना दर्द व्यक्त करने का अवसर भी नहीं दिया जाता।

गुजरात सरकार की गरीब विरोधी नीतियों की इस महा सम्मेलन में सख्त आलोचना की गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि पूंजी विसर्जन से जो राशि प्राप्त होगी, वह सामाजिक विकास पर काम में ली जाएगी, ऐसी बातें सभी सरकारें करती हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। सरकार अपने कल्याणपरक कार्यों से पीछे हट रही है। ऐसा इस उदाहरण से साफ नजर आता है। सरकार ने महिलाओं की इस योजना से आंशिक रूप में पीछे हटने का जो निर्णय किया है, वह भारतीय संविधान की धारा-१५ के अनुसार जो महिलाओं हेतु विशेष कदम उठाने की दायित्व राज्य पर डाला गया है, उसका भंग होता है। उसके अलावा, भारतीय संविधान की धारा - २१ गौरवपूर्ण जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार को स्वीकृति देती है, अतः राज्य सरकार के इस निर्णय से उसका भी उल्लंघन होता है।

राज्य सरकार ने इस योजना में परिवर्तन करने का जो निर्णय लिया है, वह अपने आप में अलोकतांत्रिक है। इसका कारण यह है कि इस निर्णय से पूर्व सरकार ने इस बारे में किसी के साथ कोई भी चर्चा नहीं की थी। इतना ही नहीं, इस निर्णय से प्रभावित होने वाली महिलाओं को इसकी जानकारी तक नहीं दी थी। इस महा सम्मेलन में यह भी बताया गया था कि सरकार का इस विषय में अपना खर्च बचाने का प्रस्ताव भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। इन सिद्धांतों में एकाकी महिलाओं जैसे असहाय समूह की देखभाल करने की जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसा बताया गया। महा सम्मेलन में सरकार के प्रस्ताव से योजना द्वारा लाभार्थी महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे से विचार व्यक्ति किये गए थे।

आंदोलन का घटनाक्रम

सम्पूर्ण आंदोलन की शुरूआत कच्छ जिले से हुई थी। 'एकल नारी शक्ति मंच' द्वारा कच्छ में अनेक गाँवों और नगरों में असंख्य बैठकें हुईं थी और एकाकी महिलाओं को सहायता देने वाली योजना में किये गये संशोधन की एकाकी महिलाओं के साथ ही चर्चा की गई थी और उन्हें उसका मंतव्य समझाने हेतु मंच की आवश्यकता प्रतीत हुई थी। एकाकी महिलाओं ने नये सरकारी प्रस्ताव की सख्त आलोचना की थी और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना तय किया था।

बाद में कच्छ के जिला कलेक्टर और समाज सुरक्षा विभाग को १८ मार्च २००४ को मंच के प्रतिनिधियों ने आवेदन पत्र सौंपा था। इस

संघर्ष में उस समय लोक अधिकार मंच और विकलांग अधिकार संगठन भी जुड़ गये थे। इसके उपरांत १३.८.२००४ को राज्य सरकार के समाज सुरक्षा विभाग के सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव तथा जन सम्पर्क अधिकारी से गांधीनगर में मुलाकात की गई थी। तदुपरांत गुजरात के मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकार विभाग के मंत्री और महिला व बाल विकास मंत्री को आवेदन पत्र दिये गए थे। उसमें 'एकल नारी शक्ति मंच' और 'अमन समुदाय' के सदस्य भी साथ थे।

दिनांक १६.८.२००४ को कच्छ जिले में भुज में जिला स्तरीय एक रैली आयोजित की गई थी और सरकारी प्रस्ताव की होली जलायी गई थी। एक आवेदन पत्र कलेक्टर को सौंपा गया था। इस रैली में लगभग ३०० महिलाओं ने भाग लिया था।

एकल नारियों के अधिकारों को वाणी देने के लिए इस समग्र आंदोलन को बाद में राज्य व्यापी बनाया गया। सर्वप्रथम तो २४.११.०४ को महिलाओं की समस्याओं पर काम करने वाले संगठनों की एक बैठक आमंत्रित की गई थी। इसमें पूरे गुजरात से ३५ संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उन्होंने इस आंदोलन को सक्रिय सहयोग देना स्वीकार किया था।

इसके बाद कई अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने एक या दूसरी तरह से आंदोलन को सहयोग दिया था। इस बैठक में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई और आंदोलन को वेग देने हेतु व्यूहरचना बनाई गई और 'एकल नारी शक्ति मंच' के नेतृत्व तले इस आंदोलन को आगे बढ़ाना स्वीकार किया गया था।

तदुपरांत दिः १६-१२-२००४ को अहमदाबाद, गोधरा, पाटण, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, बनासकांठा, साबरकांठा और आणंद जिलों में कलेक्टरों को आवेदन पत्र दिये गए थे। हरेक स्थान पर निकली रैलियों में विशाल संख्या में एकाकी नारियां उपस्थित थीं। अखबारों व टी.वी. चैनलों पर उन्होंने खूब प्रसिद्धि प्राप्त की थी। फिर दिः २७-१२-२००४ को 'एकल नारी शक्ति मंच' का एक प्रतिनिधि मंडल महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री आनंदीबहेन पटेल से मिला था और यह निवेदन किया था कि सरकारी प्रस्ताव वापिस लौटाया जाए।

सरकार द्वारा योजना में किये गए परिवर्तन

'एकल नारी शक्ति मंच' और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किये गये आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार पर भारी दबाव आया तो सरकार ने अंततः इस योजना में थोड़े संशोधनों की निम्नानुसार घोषणा की है :

१. व्यक्ति हेतु आय सीमा १२०० रु. से बढ़ाकर २४०० और परिवार हेतु आय सीमा २६०० रु. से बढ़ाकर ४५०० की गई है। १९७९ में यह योजना शुरू हुई तब से इस सीमा में कोई वृद्धि नही की गई थी।
२. पूर्व में सरकारी प्रस्ताव अगस्त २००३ में घोषित हुआ था, उसमें बताया गया था कि नयी योजना दो वर्षों में अमल में आएगी। अब यह समय और दो वर्ष हो गया है, अर्थात् नयी योजना २००७ में अमल में आएगी। याने दो वर्षों तक पहले वाली योजना ही चालू रहेगी।
३. पति की मृत्यु के बाद सारे प्रमाण पत्रों के साथ अर्जी देने का समय एक वर्ष था और अब उसे दो वर्ष किया गया है। याने अब विधवा पत्नी पति की मृत्यु के दो वर्ष तक अर्जी दे सकेगी।
४. शहरी क्षेत्रों में एकाकी स्त्रियों हेतु जो पांच वृक्ष लगाना अनिवार्य था, उसे अब उसकी मर्जी पर छोड़ा गया है।
५. परित्यक्ताओं और पति के ससुराल पक्ष की और से कोई मदद न लेने वाली तलाकशुदा स्त्रियों को सहायता मिलनी जारी रहेगी।

सुश्री आनंदीबहेन का रुझान इस सम्पूर्ण समस्या को लेकर जड़ था और उन्होंने तमाम मांगों को बिल्कुल नकार दिया था। प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अवसर दिये बिना ही उन्होंने सरकारी प्रस्ताव का बचाव शुरू कर दिया था। एक अवसर पर उन्होंने यों भी कहा था कि 'पूरी जिंदगी के लिए सहायता देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।'

भावी कदम

'एकल नारी शक्ति मंच' एकाकी महिलाओं का एक राज्य स्तरीय नेटवर्क है और इसमें जुड़े ३५ संगठन शामिल हैं। यदि गुजरात सरकार अपना एकाकी महिलाओं की कम सहायता देने वाला मूल प्रस्ताव वापिस नहीं लेगी, तो यह मंच का संघर्ष उग्र स्वरूप धारण करने हेतु कटिबद्ध है।

गतिविधियाँ

'सेन्टर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट' को स्टोकहोम में वोटर प्राइज प्रदान

दिल्ली के 'सेन्टर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट' को १.५० लाख डालर का स्टोकहोम वोटर प्राइज प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस संस्था को मानवाधिकारों, लोकतंत्र व स्वास्थ्य की अधिक उत्तम व्यवस्था के साथ-साथ प्रभावी जल-संचालन को प्रोत्साहन देने के उसके कार्य के लिए यह पारितोषिक प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस संस्था की मुखिया के रूप में सुश्री सुनीता नारायण काम करती हैं।

पारितोषिक प्रदान करने वाली समिति ने अपने प्रशस्ति पत्र में बताया है कि जल-संचालन संबंधी प्राचीन व नूतन ज्ञान को सफलता पूर्वक एकत्र करने, स्त्री-पुरुष समानता के साथ चिरंतन, समुदाय आधारित, समन्वित, संसाधन-संचालन, गैर-प्रजातांत्रिक तथा ऊपर से नीचे की और जाती नौकरशाही के नियंत्रण के विरुद्ध हिम्मत के साथ प्रवृत्ति और ये लक्ष्य पूरे करने हेतु मुक्त व स्वतंत्र अखबारों के तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र के सक्षम उपयोग हेतु यह पुरस्कार दिया गया है।

स्वीडन के राजा कार्ल १६वें गुस्ताफ द्वारा यह पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व के जल संसाधन संरक्षण, विकास एवं प्राप्ति बढ़ाने हेतु किये जाने वाले योगदान के निमित्त संस्थाओं को अथवा व्यक्तियों को यह पारितोषिक दिया जाता है। 'संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस' के निमित्त इस पारितोषिक की घोषणा की गई है।

ग्राम संगठन पारितोषिक दिया जाएगा

'डेवलपमेन्ट सपोर्ट सेंटर' ने ग्राम विकास पारितोषिक हेतु राशि एकत्र की है। इस राशि मे से पिछले तीन वर्षों से गुजरात में प्रकृतिक संसाधनों के उपयोग से ग्राम विकास में पांच वर्ष से करने वाले, लेकिन जो ज्यादा प्रसिद्ध न हो, ऐसी नवोदित संस्थाओं अथवा निष्ठावान कार्यकर्ताओं, जिनकी उम्र लगभग ४५ से अधिक न हो याने जिनमें अभी १५ वर्ष और काम करने ग्राम विकास में अपना योगदान देने की क्षमता है, उन्हें यह पारितोषिक दिया जाता है। अभी तक एक संस्था व दो कार्यकर्ताओं-प्रत्येक को ५० हजार रु. का पारितोषिक दिया जाता है। विगत पारितोषिक के समय ५० हजार के पारितोषिक के अलावा निष्ठावान कार्यकर्ता को २० हजार रु. की फेलोशिप देना भी निश्चित किया गया है। इस राशि का उपयोग करके आशावान विकास कार्यकर्ता अपनी क्षमता को बढ़ाने योग्य अध्ययन संस्थाओं के सम्पर्क द्वारा करेगा, ऐसा विचार है।

दिनांक १५ जनवरी २००५ को जब ग्राम विकास पारितोषिक का समारोह आयोजित हुआ था, तब तक ऐसा विचार सामने रखा गया कि ग्राम विकास का काम करने वाली नवोदित संस्थाएं आशावान कार्यकर्ता को पारितोषिक देने के अलावा ग्राम विकास की सीधी जिम्मेदारी लेती हैं। ऐसे ग्राम संगठनों में से जिसने उल्लेखनीय काम किया हो, पर अधिक प्रसिद्ध न हों, ऐसे ग्राम संगठन को भी अलग से पारितोषिक दिया जाना चाहिए। इस बारे में 'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' के संचालक मंडल की दिनांक १४ मार्च २००५ की बैठक में चर्चा हुई, तब 'ग्राम-संगठन पारितोषिक' को योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

ग्राम विकास पारितोषिक हेतु वर्तमान में जो निर्णय समिति है, उसमें डॉ. सुदर्शन आयंगर (डाइरेक्टर, सेंटर फोर सोश्यल स्टडीज़, सूरत), श्री कुलीनचन्द्र पी. याज्ञिक (निवृत्त, वाईस चांसलर - उत्तर युनिवर्सिटी और भूतपूर्व सचिव, शिक्षा विभाग, गांधीनगर), डॉ. इन्दिराबहन हिरवे, श्री दीपक बाबरिया और श्री सचिन ओझा ऐसे सदस्य हैं। ऐसा सुझाव दिया गया था कि निर्णय समिति में कुछ सदस्य जोड़े जाएं जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों के विकास का प्रत्यक्ष अनुभव हो। इस समिति ने जिस प्रकार ग्राम विकास पारितोषिक हेतु किया था, उसी प्रकार ग्राम संगठन पारितोषिक हेतु मानदंड और नियम तय करेंगे।

ग्राम संगठन पारितोषिक के कोष हेतु डी.एस.सी. के सदस्य श्री दीपक बाबरिया ने १ लाख रुपयों की राशि देने की घोषणा की थी। जीएससी की ओर से अतिरिक्त १ लाख रु. जोड़ने का निर्णय लिया गया है। कोष की राशि ५ लाख रु. हो जाए तभी यह पारितोषिक प्रदान करने की शुरूआत की जाएगी, ऐसा तय किया गया था। ५ लाख रु. पर ८ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से ४०,००० रु. के लगभग ब्याज की आमदनी होगी। उसमें से प्रथम पारितोषिक २० हजार रु. और द्वितीय पुरस्कार १० हजार रु. और जो राशि बचे, उसे उम्मीदवार ग्राम संगठनों की छानबीन हेतु जो मुलाकात आयोजित करती हो, उसमें उपयोग हेतु तय रही। यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जो ग्राम विकास पारितोषिक प्रदान करने का वार्षिक समारोह आयोजित कियाा गया है, उसके साथ ग्राम संगठन पारितोषिक प्रदान करने का समारोह जोड़ा जाए। ग्राम संगठन पारितोषिक का कोष शुरू करने के साथ ऐसी अपेक्षा रखी गई है कि प्राकृतिक संसाधनों के विकास के द्वारा ग्राम विकास का उत्कर्ष हो, उन क्षेत्रों में जो स्वैच्छिक संस्थाएं गुजरात राज्य में उत्कृष्ट काम कर रही हों, वे इस कोष में अपना यथासंभव योगदान देंगी।

सम्पर्क : डेवलपमेन्ट सपोर्ट सेन्टर, सरकारी ट्यूबवेल के पास, बोपल, अहमदाबाद-३८० ०५८. फोन : ०२७१७-२३५९९४, २३५९९५. ई-मेल : dsc@satyam.net.in

दूर-दराज़ गांवों के बालकों हेतु रंग मेले की आयोजन

दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को अपनी सुषुप्त शक्तियां बाहर लाने हेतु अवसर प्रदान करने और विभिन्न प्रवृत्तियों का आयोजन करके उसमें रचनाशीलता और आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से राजकोट जिले के जसदण तहसील के ढेढुकी गांव में एक रंग मेला आयोजित किया गया। 'लोकमित्रा' संस्था तथा ढेढुकी के ग्रामवासियों ने संयुक्त रूप से आयोजित इस मेले में जसदण तहसील तथा सुरेन्द्रनगर जिले की चोटिला और सायला तहसीलों की ६० प्राथमिक शालाओं के १५०० से अधिक बालकों, शिक्षकों, ग्रामवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था।

'लोकमित्रा' के उपक्रम से इस क्षेत्र में आयोजित यह आठवां रंग मेला था। इस वर्ष इस मेले का विषय 'गुजरात सर्जन' रखा गया था। अतः मेले के दौरान गुजरात के प्रत्येक जिले की विशेषताओं, जिले से संबंधित जानकारी और महान विभूतियों से संबंधित पोस्टर भित्तिचित्र आदि तीसेक शालाओं के बालकों और शिक्षकों ने तैयार किए थे। मेले में प्रदर्शित प्रदर्शनी में गांधीजी, सरदार पटेल, डॉ. विक्रम साराभाई, रूखड़ रबारी, आदिवासी युवक आदि की विशाल कद की बालकों द्वारा बनाई हुई मिट्टी की प्रतिमाएं रखी गई थी। सीदी सैयद की जाली, मोढेरा का सूर्य मंदिर, दांडी स्मारक, विधानसभा गृह, नर्मदा डेम और गुजरात के नक्शे जैसे ग्रामीण बालकों द्वारा बनाये हुए मिट्टी के स्थापत्य देखकर सभी बालक बहुत अभिभूत हुए थे। लोहे की विशाल प्लेटों और मोटे रस्से से बनवाया गया झूलता पुल बालकों, ग्रामजनों और शिक्षकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना था। प्रदर्शनी के माध्यम से बालकों ने जिले की उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की थी और साथ ही साथ गणित एवं विज्ञान का ज्ञान भी सहजतया प्राप्त किया था।

प्रदर्शनी के साथ-साथ अलग-अलग गांवों की शाला के बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने भीतर मौजूद कला और कौशल की झांकी कराई थी। समग्र रंग मेले का आयोजन, संचालन और मूल्यांकन ढेढुकी गांव की प्राथमिक शाला के २४ गांवों के २४ बालकों की संचालन समिति ने किया था, यह इस रंग मेले की उल्लेखनीय विशेषता थी। मेले में भाग लेने वाले बालकों ने बेकार चीजों से कागज़ का दौड़ता चूहा, नारियल की नारेली के झूमर, कागज़ की नलियों की ट्रे, बंधेज, बांस की सींकों का पैन-स्टेंड, ब्लॉक प्रिंट, टिकटिकी तथा पंखा जैसी चीजें मेले के दौरान ही बनाई थी।

उल्लेखनीय बात यह भी कि उपर्युक्त सातों प्रवृत्तियों में ढेढुकी गांव के नन्हे बालकों ने मेले के सहभागी बालकों को सिखाई थी। 'गुजरात सर्जन' विषयक इस मेले में गुजरात के पर्वत, नदी, कवि और लेखक के नामों की अलग-अलग टुकड़ियों मे रचनात्मक प्रवृत्तियां आयोजित की गई थी। उससे बालकों ने गुजरात विषयक ज्ञान भी प्रात किया था।

'चरखा' का वार्षिक सम्मेलन

गुजरात में विकास संचार क्षेत्र में कार्यरत 'चरखा' का यह दसवां वर्ष चल रहा है। 'चरखा' द्वारा प्रतिवर्ष अलग-अलग विकासपरक मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु लेखन-स्पर्धा आयोजित की

जाती है। २००४ के दौरान दो मुद्दों के विषय में दो अलग-अलग लेखन स्पर्धाएं आयोजित की गई थीं: (१) भू-स्वामित्व और महिलाएं तथा (२) आदिवासी और स्थानीय प्रशासन।

इस स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने तथा विगत पांचेक वर्षों में 'चरखा' के साथ मिलकर विकासपरक मुद्दों के बारे में सकारात्मक आलेखन करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करके – एक कार्यक्रम वार्षिक सम्मेलन के रूप में दिनांक ११ मार्च २००५ को अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री उषा राय (वरिष्ठ पत्रकार और डे. डायरेक्टर, प्रेस इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) और विशिष्ट अतिथि के रूप में शंकर घोष (अध्यक्ष 'चरखा' नई दिल्ली) उपस्थित थे।

सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारिता के विद्यार्थी, पत्रकार, शिक्षाविद और ग्रामवासी समेत १०० से अधिक लोगों ने भाग लिथा। सम्मेलन के दौरान स्पर्धा के निर्णायकों और 'चरखा' के ट्रस्टियों ने प्रसंगानुरूप उद्‌बोधन किया था। 'आदिवासी सर्वांगी विकास संघ' - सूरत से पधारे हुए श्री सूरजीभाई वसावा और साथी मित्रों द्वारा आदिवासी नृत्य और गीत प्रस्तुत किये गए थे। तदुपरांत 'चरखा' के सुश्री झील पंचाल ने कार्यक्रम हेतु बताते हुए कहा था कि 'विकासपरक मुद्दों पर होने वाले कार्यों के बारे में व्यापक जन समाज सुपरिचित हो, इस उद्देश्य से 'चरखा' द्वारा लेखन-स्पर्धा आयोजित की जाती है। साथ ही विगत पांचेक वर्षो से सकारात्मक विकासपरक आलेखन करने वाले युवा पत्रकारों का अभिनंदन किया जाएगा। 'चरखा' के संयोजक ट्रस्टी श्री संजय दवे ने 'चरखा' की प्रवृत्तियों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी। तदुपरांत दोनों स्पर्धाओं के निर्णायकों की ओर से श्री दर्शनभाई और श्री राजेशभाई भट्ट ने लेखों की जांच के अपने अनुभव व्यक्त किये। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने दृष्टांतों के बारे में लिखने का आहवान किया। निर्णायकों के विचारों के पश्चात् विजेता सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों की घोषणा हुई और उन्हें मुख्य अतिथि महोदय के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। उनमें नगद पुरस्कार, स्मृति चिह्न तथा प्रमाण पत्र शामिल हैं।

(१) भूमि-स्वामित्व और महिलाएं' स्पर्धा के पुरस्कार :

प्रथम विजेता : श्री रमेशभाई पटेल (विकसत फील्ड आफिस, साबरकांठा)

द्वितीय विजेता : श्री तेजलबहेन अध्वर्यु (कर्म संघ, अहमदाबाद)

तृतीय विजेता : श्री योगेशभाई दवे (ग्राम स्वराज संघ, कच्छ)

प्रोत्साहन पुरस्कार : (१) श्री काश्मीराबहेन सवंट (संस्था : सर्व शिक्षा अभियान, अमरेली) (२) श्री प्रकाशभाई वसावा (संस्था : आदिवासी सर्वांगी विकास संघ, सूरत)

(२) 'आदिवासी और स्थानीय स्वशासन' स्पर्धा के विजेता

प्रथम विजेता: श्री रमीलाबहेन राठवा (आनंदी, दाहोद), द्वितीय विजेता: श्री सुराभाई वसावा (आदिवासी सर्वांगी विकास संघ, सूरत), तृतीय विजेता : श्री सविता बहेन चौधरी (वेडछी प्रदेश सेवा समिति, सूरत), प्रोत्साहन पुरस्कार : (१) श्री राकेशकुमार चौधरी (आदिवासी सर्वांगी विकास संघ, सूरत, (२) श्री लालसिंहभाई वसावा (आदिवासी सर्वांगी विकास संघ, सूरत), (३) श्री विजयकुमार वसावा (आदिवासी सर्वांगी विकास संघ, सूरत).

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री शंकर घोष ने 'चरखा' के उद्‌भव और विकास की बात की थी। उन्होंने 'चरखा' के संस्थापक और उनके पुत्र श्री संजय घोष को इस अवसर पर स्मरण किया गया। श्री संजय घोष का १९८७ में आसाम राज्य के माजुली टापू से उल्फा द्वारा अपहरण हुआ था। आज तक उनकी कोई खोज-खबर नहीं मिली।

श्री घोष के उद्‌बोधन के पश्चात् 'मानवता की मार्ग' के अंग्रेजी रूपांतरण के बारे में श्री अपूर्वभाई ओझा ने सूचना दी थी। गुजरात

के सांप्रदायिक दंगों के बाद कौमी सद्भावना पैदा करने हेतु स्थानीय समुदायों के द्वारा किये गए उल्लेखनीय प्रयासों का दस्तावेजीकरण इस पुस्तक में अत्यंत सरलतापूर्वक किया गया है। उसका गुजराती दस्तावेज पूर्व में प्रकाशित हो चुका है और उस पर प्रचंड प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के दृष्टांतस्वरूप लोक प्रयासों की इस पुस्तक 'मावनता का मार्ग' के अंग्रेजी अनुवाद का अतिथि श्री उषा राय के हाथों विमोचन हुआ था। तदुपरांत उन्होंने उद्बोधन दिया था। उन्होंने विकासपरक पत्रकारिता की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने वर्तमान समय में मुख्य प्रवाह के अखबारों के रुझान और उसके समाज पर होने वाले प्रभाव के बारे में विस्तृत विचार व्यक्त किये थे। 'चरखा-गुजरात' के विकास-संचार के प्रयासों की सराहना करके ऐसे प्रयासों को सुरक्षित रखने की उन्होंने अपील की।

मुख्य अतिथि के उद्बोधन के पश्चात् मुख्य प्रवाह के कई युवा पत्रकारों का परिचय करा कर उनको स्मृति चिह्न सम्मान पत्र और भेंट अर्पण करके सम्मानित किया गया था। पुरस्कृत पत्रकारों के नाम निम्नानुसार हैं :

(१) श्री अजयभाई रामी (संदेश दैनिक)
(२) श्री उर्वीशभाई कोठारी (गुजरात समाचार और संदेश दैनिक में लिखने के कारण)
(३) श्री परेशभाई दवे (दिव्य भास्कर दैनिक)
(४) श्री राधाबहन शर्मा (टाइम्स ऑफ इंडिया)
(५) श्री अनीताबहन जतकर (मुक्त पत्रकार)
(६) श्री रमेशभाई तन्ना (गुजरात टाइम्स)
(७) श्री महेशभाई शाह (चित्रलेखा साप्ताहिक)
(८) श्री मौलीनभाई मुन्शी (ऑल इंडिया रेडियो)

पुरस्कृत पत्रकारों ने अपने अनुभव और भाव व्यक्त किये थे। उसके पश्चात् 'चरखा फेलोशिप फोर डेवलपमेंट' हासिल करने वाले पत्रकारिता के फेलो विद्यार्थियों का परिचय देकर उनका प्रमाण पत्र और पुस्तक द्वारा सम्मान किया गया था। इस वर्ष सबसे पहली बार शुरू की गई इस फेलोशिप का विषय 'स्थलांतर और स्थलांतरित समुदाय' रखा गया था। फेलोशिप हेतु पसंद किये गए विद्यार्थियों के नाम निम्नानुसार है:

(१) श्री प्रज्ञाबहन बालसरा (पत्रकारिता विभाग, सौराष्ट्र युनिवर्सिटी, राजकोट)
(२) श्री संज्ञाबहन सोनी (पत्रकारिता विभाग, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद)
(३) श्री प्रवीणभाई चौधरी (पत्रकारिता विभाग, गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद)
(४) श्री मित्तलबहन पटेल (पत्रकारिता विभाग, गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद)

राजस्थान में चुनाव से पूर्व का मतदाता जागृति अभियान

राजस्थान में 'उन्नति' द्वारा पंचायतों के चुनावों के संदर्भ में एक मतदाता जागृति अभियान चलाया गया था। उससे संबंधित एक राज्यस्तरीय संचालन समिति की बैठक १० सितम्बर, २००४ को जयपुर में सम्पन्न हुई थी। उसमें एक समान व्यूहरचना निर्मित की गई थी। इस राज्य स्तरीय मंच के सदस्यों में ८ गैर सरकारी संगठनों का समावेश होता है।

यह अभियान चलाने हेतु राजस्थान राज्य को सात प्रदेशों में विभक्त किया गया था। इससे पहले राज्य के चुनाव कमिश्नर के साथ अगस्त २००४ में एक बैठक आयोजित की गई थी और फार्म नं. १ छापने हेतु प्रयास किये गए थे। इन प्रयासों को जिला अधिकारियों और चुनाव आयोग ने सराहा था। अक्टूबर व नवंबर में जोधपुर में दो बैठकें आयोजित की गई थीं और उनमें ५ जिलों में से २७ गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था। गैर सरकारी संगठनों ने स्वयं भी चुनाव के मतदाता जागृति अभियान हेतु एक आचार संहिता निर्मित की थी और सभी स्वेच्छा से उसका पालन करने हेतु सहमत हुए थे।

पांच जिलों को व समूहों में विभक्त किया गया था और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं और संबंधित क्षेत्र के स्वयंसेवकों को मतदाता जागृति अभियान चलाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया था। अलग-अलग जिलों के सभी गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया था। जागृति फैलाने हेतु २ पोस्टर, १ ऑडियो सैट, उम्मेदवारी पत्र और पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई थीं। इसके अलावा तहसील पंचायत में एक विशाल बोर्ड तैयार किया गया था। 'स्वराज' त्रैमासिक पत्र का एक विशेषांक भी इस निमित्त प्रकाशित किया गया था।

मंडोर, बिलाड़ा, बालेसर, लूणी, बाप और फलोदी के पंचायत संदर्भ केन्द्रों द्वारा इस अभियान को सक्रिय बनाया गया था। जनवरी के दौरान संसाधन समूह हेतु एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये समूह बाद में समुदाय के साथ बैठकें आयोजित कर रहे थे। 'हमारा फैसला' और 'गाँव नहीं किन्हीं पांच का' नामक दो फिल्में ग्राम पंचायत में दिखाई गई थीं।

घर-घर घूम कर पुस्तिकाएं वितरित की गई थीं। भित्तिपत्रों द्वारा तथा माइक द्वारा सुसज्जित जीप गाँव-गाँव घुमाई गई थी। चुनाव के दिन चुनाव की प्रक्रिया पर देखरेख रखी गई थी। कुल ८११ गाँवों और २११ ग्राम पंचायतों में यह अभियान चलाया गया था। इस अभियान में लगभग २५ स्थानीय और राज्य स्तरीय गैर-सरकारी संगठन जुड़े थे।

'दलित अधिकार अभियान' द्वारा स्वाभिमान रैली

विगत छः वर्षो से 'उन्नति' पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय संस्थाओं और दलित नेतृत्व के साथ मिलकर 'दलित अधिकार अभियान चला रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में दलितों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार का संगठित रूप से विरोध करना रहा है।

अभियान द्वारा विगत छः वर्षों में २५० सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव दूर किया गया है, जबकि लगभग १०० दलित अत्याचार की घटनाओं पर सामाजिक तथा कानूनी कदम उठाये गए हैं। वर्तमान में, दलित अधिकार अभियान के अनुसार ३०० ग्राम स्तरीय और ८ खंड स्तरीय महिला एवं पुरुष समितियां बनाई गई हैं।

इस संदर्भ में ८-३-२००५ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से १४-४-२००५ को अंबेडकर जयंति के दिन स्वाभिमान यात्रा आयोजित की गई थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय में उनकी समस्याओं के प्रति जागृति फैलाना और समुदाय को 'दलित अधिकार अभियान' से सक्रिय रूप से जुड़ने हेतु आह्वान करना था। इन समस्याओं में अस्पृश्यता, अत्याचार, महिला उत्पीड़न, सामाजिक कुरीतियों आदि का समावेश होता है। इनके बारे में लोगों से चर्चा की गई। इस यात्रा को दलित समुदाय में उत्साहपूर्वक सरकार मिला था।

यात्रा में लगभग २५ व्यक्तियों की टुकड़ियों ने ७२ गाँवों से सम्पर्क किया। टुकड़ियों के साथ संचार दल भी था। यह यात्रा जोधपुर के मंडोर., शेरगढ, बालेसर तथा भोपालगढ़ और बाड़मेर के बायतु, सिंधरी, शिवाणा तथा बालोतरा खंड में आयोजित की गई थी। यह स्थानीय प्रचार माध्यमों में दलितों की समस्याओं के बारे में लोगों

का ध्यान आकृष्ट कर रही थी। लगभग ३५,००० दलित भाई-बहनों तक इस यात्रा ने अपना संदेश पहुँचाया था।

'दलित अधिकार अभियान' की अलग-अलग प्रवृत्तियों के लिए दलितों ने इस यात्रा के दौरान ३५,००० रु. की बड़ी रकम का योगदान दिया था। इस यात्रा के दौरान ग्राम स्तरीय बैठकों में स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा हुई थी तथा एक ग्राम स्तरीय कार्य योजना बनाई गई थी। दलितों को बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन एवं विचारों के बारे में जानकारी दी गई थी।

इस यात्रा के दौरान यह बात ध्यान में आई कि दलितों के अधिकारों के विषय में बात करना व प्रचार करना आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौती है। यात्रा पर कई बार कई जगहों पर उच्च वर्ण के लोगों ने हमला करने का प्रयास किया था। बैठक के दौरान अवरोध खड़े करने का प्रयास किया था। दलितों की समस्याओं के समाधान के विरुद्ध सामाजिक चुनौतियां बड़ी है, इसका सबूत है यह।

अंबेडकर जयंति के दिन इस यात्रा की पूर्णाहुति एक महा सम्मेलन से हुई थी। उस में लगभग ७०० दलित महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया था। पश्चिमी राजस्थान की विविध स्वयंसेवी संस्थाओं, अभियान के साथ जुड़े नागरिक समाज के सदस्यों पत्रकारों तथा दलितों की समस्याओं बाबत काम करने वाले विविध कर्मयोगियों ने सहयोग दिया था। श्री पी. एल. भीमरोठ (वकील सुप्रीम कोर्ट) श्री विजय परमार (सामाजिक न्याय केन्द्र, अहमदाबाद) तथा साबरकांठा गुजरात के लगभग ५५ दलित कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था।

आगामी कार्यक्रम

महिला कृषि मेला

एन.एम.सदगुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा दाहोद में ८ से ११ अप्रेल २००५ के मध्य महिला कृषि मेला आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ८ मार्च को मनाने के एक भाग के रूप में यह मेला आयोजित किया जा रहा है। सदगुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में विगत ३० वर्षों के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खेती व बागायत के विकास के क्षेत्र में काम किया गया है। सिंचाई और भूमि विकास के कार्यों के अधीन इस अवधि में २.१४ लाख एकड़ भूमि को समेटा गया है।

इस समग्र प्रक्रिया के दौरान महिलाओं ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लगभग ५०० से अधिक महिला समूह विविध प्रकार की खेती और बागायत विषयक खेती की प्रवृत्ति में शामिल हुए हैं। इसके परिणामतः ८ महिला बागायत सहकारी मंडलियों का गठन किया गया है। उनके अवसरों को बढ़ाने के लिए यह मेला आयोजित किया जा रहा है। खेती, बागायत, सजीव खेती, खेती की टेक्नोलोजी, जैव तकनीकी, लघु सिंचाई, खेत ऋण, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों आदि को इस मेले में शामिल किया जायगा। विविध संस्थाओं, व्यावसायिक समूहों, शोध संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी इस मेले में सहभागिता होगी। प्रतिदिन छः जिलों से लगभग ५०,००० लोगों के इस मेले में आने की संभावना है। आदिवासी अंचल और उससे बाहर के बाजारों को परस्पर जोड़ने और आदिवासी किसानों को आधुनिकतम टेक्नोलोजी, विकास और नवीनतम शोधों से परिचित होने का अवसर प्रदान करना इस मेले का उद्देश्य है।

इस मेले में प्रतिदिन एक परिसंवाद का आयोजन भी किया जाएगा। ९ अप्रैल को बागायत को प्रोत्साहन : ज्ञान और व्यवहार, १० अप्रैल को बागायत उत्पादों में समन्वित जंतु और रोग संचालन, अनुभव विषय पर फूलों की खेती को प्रोत्साहन : अवसर और अनुभव विषय पर परिसंवाद आयोजित किया गया है। इसमें युनिवर्सिटी और शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक उपस्थित रहेंगे।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें : सुश्री शर्मिष्ठा जगावत, नियामक, एन.एम.सदगुरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउण्डेशन पो. बो. ७१, दाहोद ३८९ १५१, फोन : ०२६७३-२३८६०४ फैक्स : ०२६७३-२३८६०४, ई-मेल : nmsadguru@yahoo.com

ई.डी.आई. के दो अभ्यास क्रम

'एण्टरप्रोन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑव् इंडिया' (ई.डी.आई.) द्वारा एक वर्ष के दो अभ्यासक्रम कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं :

(१) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एंडरप्रोन्योराशिप एंड मैनेजमेंट (पी.जी.डी.बी.ई.एम.) :

यह कार्यक्रम व्यवसाय के क्षेत्र में नये प्रविष्ट होने वाले लोगों के लिए खास तैयार किया गया है कि जिससे वे कौशल पैदा कर सकें, अवसरों को परखने की शक्ति विकसित कर सकें, अवसर का उचित उपयोग कर सकें और इस तरह संगठनात्मक तंत्र निर्मित कर सकें, जिसमें वे जमीन, श्रम, पूंजी और संचालनकीय ज्ञान का विनियोग कर सकें। यह अभ्यास कार्यक्रम धंधे में प्रविष्ट होने वाले नए लोगों के लिए व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है। जो धंधे का कोई अनुभव नही रखते, ऐसे लोग और जिनके पूर्वज धंधे करते थे, ऐसे दूसरी पीढ़ी के उद्यमी दोनों हेतु उपयोगी यह अभ्यासक्रम बनाया गया है। इसमें तीन मुख्य पहलू हैं :

(१) नए साहस का सर्जन (२) पारिवारिक धंधे का संचालन (३) खेती के क्षेत्र में उद्यमिता। यह कार्यक्रम १२ माह का है और सितंबर माह में शुरू होगा तथा अगस्त माह में पूरा होगा।

(२) पोस्ट ग्रेजएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑन् एनजीओ

जो सामाजिक क्षेत्र में अपने धंधे के काम में रुचि लेते हैं उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु यह कार्यक्रम चलता है। विधिवत सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में कौशल उत्पन्न करने और व्यूहरचनाओं को तैयार करने हेतु इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी तक इस कार्यक्रम में १३७ विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण लिया है।

इस कार्यक्रम में खेती, कृषि इंजीनियरी, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वनविद्या, सामाजिक कार्य, ग्राम विकास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, जैसे विषयों में उपाधि धारियों को शामिल किया जाता है। गत वर्ष देश की लगभग २० संस्थाएं १२ माह के इस अभ्यास क्रम के विद्यार्थियों को नौकरी पर रखने हेतु आगे आई थीं।

आवेदन-पत्र भरकर भेजने की अंतिम तिथि १५-४-२००५ लिखित परीक्षा १५-५-२००५, व्यक्तिगत सम्पर्क १३/१४-६-२००५ और प्रवेश हेतु अंतिम तिथि १५.७.२००५ अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें : अभ्यासक्रम नियामक एंटरप्रोन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑव् इंडिया, पो. ओ. भाट ३८२ ४२८, जिला- गांधीनगर, गुजरात, फोन : ०७९- २३९६९१६३, २३९६९१६२ फैक्स : ०७९-२३९६९१६४ ई-मेल : ediindiaad1@sancharnet.in / pgdmn@ediindia.org

पृष्ठ 41 का शेष भाग

इस सहभागी शोध और कार्यलक्ष्यी अध्ययन ने एक ऐसी प्रक्रिया के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि जिससे समुदाय में विकलांगों के प्रति रुझानों को लेकर खुले आम चर्चा हुई और विविध हितैषियों ने उनकी प्रवृत्तियों में उनके समावेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उनके समावेश का यह पहला कदम था। ७५ प्रतिशत गाँवों में सरपंच ने ग्राम सभा में उनके समावेश करने की तैयारी बताई और कहा कि वे उनकी विशिष्ट जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी अदा करेंगे। युवक मंडल, सहकारी मंडल, समुदाय आधारित संगठन और स्वयं सहायता समूहों जैसी गांव की अन्य संस्थाओं ने भी विशेष रूप से उन्हें विकलांगता का प्रमाण-पत्र दिलाने हेतु कार्यवाही करने में रुचि ली।

अध्ययन ने सुष्पष्ट दर्शाया है कि सामान्य लोग विकलांग लोगों की समस्याओं के प्रति मात्र संवेदनशील ही नहीं होते, वरन् उनके प्रति अज्ञान भी रखते हैं। अतः वे उचित मात्रा में जो कुछ कर सकते हैं, वह भी नहीं कर सकते। इन सवालों के प्रति अधिक जागरूकता आई और समाज में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहन देने की उनकी तैयारी निर्मित हुई। इससे विश्वास उत्पन्न होता है और विधायक रुझान जन्म लेता है यह विकलांगों को मुख्य धारा में लाने के किसी भी प्रयास का आरंभ बिंदु है।

प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करें : 'उन्नति'

संदर्भ सामग्री

'सप्तरंग' का अन्न सुरक्षा विशेषांक

'आनंदी' संस्था द्वारा 'सप्तरंग' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के २७वें अंक को अन्न सुरक्षा विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। उसका विषय 'अनाज की कोठी खाली कैसे?' रखा गया है। इस विशेषांक में, अन्न सुरक्षा क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जा सकता है, उसकी चर्चा की गई है। देश अन्न के उत्पादन की दृष्टि से स्वावलंबी है, तब और देश अनाज की निकासी करे, तब देश के तमाम नागरिकों को सहजता से पेट भरने हेतु क्यों नहीं अनाज प्राप्त होता, ऐसा सवाल इस अंक में उठाया गया है और अन्य सुरक्षा स्थापित करने वाली विविध योजनाओं की सूचनाएं दी गई हैं।

ये योजनाएं निम्नानुसार हैं : (१) लक्षित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (२) अंत्योदय अन्न योजना (३) अन्नपूर्णा योजना (४) मध्याह्न भोजन योजना (५) समन्वित बाल विकास योजना (६) राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना (७) राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना (८) राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना।

अन्न सुरक्षा का अधिकार प्राप्त करने हेतु इन योजनाओं का अधिक उत्तम ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके लिए अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के अंतर्गत जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तले अन्न सुरक्षा योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचे और वे अपने अधिकार मांग सकें, इस हेतु यह विशेषांक प्रकाशित किया गया है।

सम्पर्क : 'आनंदी', ए-१/३ अनोली कोम्पलेक्स, २८.२९ सनराइज पार्क, वस्त्रापुर, अहमदाबाद- ३८० ०१५, फोन : ०७९- २६८४१२४७
ई-मेल : anandiguj@yahoo.co.uk

महिलाएं और भूमि स्वामित्व

महिला और भूमि स्वामित्व के विषय में कार्यकारी समूह द्वारा यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। स्त्री और कृषि भूमि, विरासत में स्त्रियों का भूमि पर अधिकार और भूमि पर स्त्री के स्वामित्व जैसे सवालों का ध्यान में रखते हुए गुजरात में १७ स्वैच्छिक संस्थाओं का एक समूह काम कर रहा है। स्त्रियों में भूमि स्वामित्व के मुद्दे के बारे में बुनियादी समझ विकसित हो और उसका महत्त्व समझ में आए, इस उद्देश्य से यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। पुस्तिका में समझावट, संघर्ष और संगठन से सफलतापूर्वक भूमि की स्वामिनी बनने वाली स्त्रियों के पांच किस्से दिये गए हैं।

इस पुस्तिका में दूरंदेशी से मृत्यु पूर्व वसीयतनामा किया जा सके इस विषय का विवरण एक नमूने के साथ दिया गया है। भूमि विषयक कानूनों के बारे में विवरण तथा उसमें भी विशेष रूप से स्त्रियों को जमीन की स्वामिनी के अधिकार संबंधी कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी भी इस पुस्तिका में दी गई है। विरासत का उल्लेख किस तरह करना, इस बारे में एक नाट्यात्मक संवाद दिया गया है। इसी विचार को बल देने की दृष्टि से ऐसा एक नाटक 'धरती की संतान' भी इसमें दिया गया है। इस नाटक के लेखक श्री अर्चन त्रिवेदी हैं और नाटक के गीतों के लेखक श्री लक्ष्मीकांत पंड्या हैं। इसके उपरांत, स्त्रियों के भूमि स्वामित्व संबंधी अधिकारों की व्यक्त करने वाले गीत व दोहे भी दिये गए हैं। संपादन : उर्वीश कोठारी और शिल्पा वसावड़ा, सहयोग राशि १० रु.
प्रकाशक : स्त्री और भूमि स्वामित्व विषयक कार्यकारी समूह, ९ वीं और दसवी मंजिल, कोर्पोरेट हाउस, दिनेश हॉल के सामने , आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८० ००९, फोनः ०७९-५५३१२४५५१/६१
ई-मेल : akrspi@icenet.net

अंधेरे में भटके

इस ऑडियो कैसेट में गुजरात के आदिवासी इलाकों की समस्या, लोगों के अनुभव, सरकार की जिम्मेदारियां और नागरिकों के अधिकार गीतों के माध्यम से व्यक्त किये गए हैं। इस कैसेट में कुल ११ गीत दिये गए हैं। देवगढ़ महिला संगठन के द्वारा ये गीत स्थानीय भाषा में रचे गये हैं और गाये गये हैं। अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के देवगढ़ बारिया वाले अधिवेशन के अवसर पर यह कैसेट जारी की गई थी। मूल्य ५० रु. पोस्टेज व्यय अलग,

सम्पर्क : देवगढ़ महिला संगठन, चबूतरा शेरी, देवगढ बारिया, जिला : दाहोद ३८९ ३८०

विकलांग व्यक्तियों हेतु सेवारत संस्थाओं की सूचना पुस्तिका

विकलांग व्यक्तियों हेतु यह सूचना पुस्तिका अहमदाबाद जिले हेतु 'अंधजन मंडल' साबरकांठा जिले हेतु 'नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड' और वडोदरा जिले हेतु 'युनाइटेड वे ऑव् बरोडा' के सहयोग से तैयार की गई है। तीनों जिलों हेतु यह सूचना पुस्तिका अलग-अलग है। इन तीनों संगठनों के साथ सहयोग से 'उन्नति' और 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' द्वारा ये पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं।

अस्थायी और स्थायी विकलांग व्यक्तियों को दवाखानों, कसरत उपचार केन्द्रों तथा सहायकों और सहायक साधनों व उपकरणों जैसी संस्थाओं की जरूरत रहती है। फिर, विकलांग व्यक्ति उन्हें शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी सहायता कहां से मिल सकती है, यह भी जानना चाहते हैं। इन सेवाओं के स्थान कौनसे हैं और वे उन्हें कैसे प्राप्त करें, इस विषयक जानकारी बार-बार समुदाय आधारित संगठनों या जो विकलांग व्यक्तियों के सम्पर्क में हों, उनसे तुरंत नहीं मिल पाती। गाँवों में काम करने वाले संगठनों और पुनर्वास प्रदान करने वालों के बीच ज्यादातर अपर्याप्त समन्वय और संबंध का जुड़ाव होता है।

यह सूचना पुस्तिका इस तरह तैयार की गई है कि जिससे यह सूचना और संबंध के जुड़ाव के बीच खाई भरने के सेतु के रूप में सेवा (काम) दे सके। इसका संस्थाएं/ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा मात्र सेवाओं तक पहुंचने हेतु ही नहीं वरन् लघुतम स्तर और गुणवत्ता की सेवाएं मांगने के आधार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। संशोधित सूचनाओं तक पहुंच विकलांग व्यक्तियों का समाज में सम्मिलन होने हेतु प्रोत्साहन देने का मार्ग बनायेगा।

गुजरात के अहमदाबाद, साबरकांठा और वडोदरा जिले में पुनर्वास संस्थाओं, विकास परक संस्थाओं, कसरत उपचार केन्द्र, दवाखानों द्वारा प्रदत्त और कई चाबी-रूपी सरकारी सहायता से चलते केन्द्रों/ संगठनों द्वारा भी प्रदत्त सेवाओं के विषय की सूचना को ध्यानपूर्वक समन्वित करने का प्रथम प्रयास है। सरकार की योजनाओं और विधेयक का विहंगावलोकन भी किया गया है। इसका प्रयोजन यह है कि विकलांग व्यक्ति और इनकी देखभाल करने वाले उनके अधिकारों के बारे में जान सकें।

विकलांग व्यक्तियों की मात्र शैक्षणिक और आर्थिक जरूरतों को ही नहीं, वरन् उनकी सामाजिक व मनोवैज्ञानिक/ भावात्मक जरूरतों को भी लक्ष्य बनाये, ऐसी सेवाओं की अत्यंत व्यापक मर्यादा विषयक सूचनाएं संकलित करने का भी विशेष प्रयत्न हुआ है। इसमें 'सूचना पुस्तिका का उपयोग कैसे करें' संबंधित जानकारी और सेवाओं की विषय सूचि पाठकों को जो सूचनाएं वे खोजना चाहते हैं, उन्हें देखने में मददगार है। उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या तक पहुंचने के लिए यह सूचना एक ही समय में एक साथ अंग्रेजी और गुजराती दोनों में प्रकाशित की गई है।

प्रतियों हेतु सम्पर्क करें :
(१) अहमदाबाद के लिए 'अंधजन मंडल' जगदीश पटेल चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रापुर, अहमदाबाद-३८० ०१५ फोनः ०७९-२६३०५०८२, २६३०४०७०, ई-मेल : blinabad1@sancharnet.in वडोदरा के लिए 'युनाईटेड वे ऑव् बरोड़ा, ९ वी मंजिल, सीडकप टावर रेस कोर्स, वडोदरा-३९० ००७ फोनः ०२६५-२३१०३८५-५५२७७१५-१६ ई-मेलः admin@unitedwayofbaroda.org, uwb@icenet.net (३) साबरकांठा हेतु 'नेशनल एसोसियेशन फॉर द ब्लाइंड' पंचाल भुवन, सत्यम ऑटो सेंटर के पास, श्रीनगर रोड नं. १० ईडर, जिला : साबरकांठा-३८३ ४३०, फोन : ०२७७८-२५०२९८.

आशा की अभिलाषा

यह एक चित्रात्मक कथा-पुस्तिका है। यह 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' के सहयोग से प्रकाशित की गई है। इसमें आशा नामक एक विकलांग बालिका की कहानी है। गुजरात के एक गाँव में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली एक छोटी बालिका की कहानी है यह। वह गाँव की दूसरी लड़कियों के जैसी ही है। वह भी शाला में जाती है, मित्रों के संग समय गुजारती है, घर के काम में मदद देती है और गाँव के सभी त्योहारों व पर्वों में भाग लेती हैं। वह माटी के घड़े बनाने में बड़ी कुशल है, क्योंकि यह उसका मन पसंद काम है। जब आशा छोटी थी. तभी उस पर पोलियो का असर हो

गया था। उस कारण घूमने फिरने के लिए वह बगलघोड़ी का इस्तेमाल करती है। वैसे एक समय ऐसा भी था कि उसे घूमने फिरने की कठिनाई के कारण आसपास के लोग उसे अलग ढंग से देखते और वह परिवार तथा गाँव की प्रवृत्तियों से अलग रहती थी। आशा विषयक यह चित्रकथा हमारे आसपास की दुनिया में रहने वाले अनेक लोगों के अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, जो यह दर्शाती है कि आशा के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किस तरह आया।

पुस्तिका यह भी दर्शाती है कि विकलांग व्यक्ति को समाज में सहभागी होने में मर्यादा उत्पन्न करने वालों परिस्थितियों को बदलने में परिवार और समुदाय सभी किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं।

इस पुस्तिका में विकलांगता और अपंगता की स्थिति, अपंगता की स्थिति किस तरह पैदा होती है, उसके कारण और उनके कारण उत्पन्न परिस्थिति, नकारात्मक चक्र कैसे काम करता है और सकारात्मक चक्र किस तरह बन सकता है, उसकी प्रस्तुति पुस्तिका के अंत में की गई है। पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि 'नकारात्मक चक्र को सकारात्मक चक्र में बदला जा सकता है। जरूरी है मात्र विकलांगता तथा अवरोध को दूर करने के लिए मदद करने की इच्छाशक्ति।'
प्रति प्राप्त करने हेतु सम्पर्क साधें : 'उन्नति'

विकलांगता के बारे में समझः सामाजिक समावेश हेतु वृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन

गुजरात के चार जिलों अहमदाबाद, साबरकांठा, पाटण और वडोदरा में विकलांग व्यक्तियों के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया गया था, जिसके निष्कर्ष इस पुस्तिका में दिये गये हैं। इस तरह यह सहभागी कार्यानुसंधान का विवरण है। जनवरी २००३ से सितंबर २००३ के दौरान नौ माह की अवधि के दौरान स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ इस शोध की प्रक्रिया चली थी।

अध्ययन के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यशालाएं और शैक्षिक सामग्री की तैयारी समेत अन्य अनेक प्रवृत्तियां सहभागी संगठनों को अभिमुख बनाने हेतु तथा समुदाय को संवेदनशील बनाने हेतु हाथ में ली गई। यह विवरण इस प्रक्रिया एवं अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें प्रस्तुत करता है। अध्ययन की प्रक्रिया ने स्वयं ही नागरिक समाज को संवेदनशील बनाने के अभियान को जन्म दिया।

चार जिलों के १३ स्थानीय सहभागी संगठनों के सहयोग से यह अध्ययन हाथ में लिया गया था। ५५ गाँवों और ८ शहरी झोंपड़पट्टी क्षेत्रों के ११५४ विकलांगों की आवाज का प्रतिबिंब है यह अध्ययन।

इस अध्ययन में निम्न मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है :

- अध्ययन हाथ में लेने हेतु १३ सहयोगी संगठनों की क्षमता बढ़ाना। (नियमावली, प्रश्नावली और निदर्शन करने, साथ ही गरीबी और विकलांगता के बीच प्रगाढ़ संबंध की छानबीन करना।
- तमाम चर्चाओं में महिलाओं को शामिल करना (यदि वे बड़े समूह में खुले मन से बात न कर सकें तो, महिलाओं के साथ अलग विशिष्ट समूह चर्चा करना।
- चर्चाओं में समुदाय के सभी हितैषियों को, और विशेष रूप से जो विकास की प्रक्रिया में विकलांग लोगों की अधिक सहभागिता पर असर डालने स्थिति में हैं उन्हें शामिल करना।
- चुनौतियों को पहचानना (इस अध्ययन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले विकलांगों को यह अध्ययन कोई स्थायी लाभ नहीं कर सकता)।

इस अध्ययन में सामाजिक बहिष्कार, पहुंच सहभागिता पारिवारिक जीवन, पुनर्वास की जरूरतें और सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, जीवन निर्वाह, अधिकारों की प्राप्ति आदि बातों विषयक निष्कर्ष निकाले गए हैं।

अध्ययन में यह बताया गया है कि परिवार, मित्र, समाज सेवा जैसे अन्य लोगों के रुझान और व्यवहार विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक सहभागिता अवरोध बन सकती है। इतना ही महत्त्वपूर्ण यह है कि विकलांग व्यक्ति स्वयं अपने को किस तरह देखता है। दोनों और विधायक रुझान हों तो वह आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकता है और समाज उसे सहारा दे सके, वे यह सहारा ले सकें और समग्रतया पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता सुधर सकती है।

शेष पृष्ठ 38 पर

विगत तीन माह के दौरान 'उन्नति' ने निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली थीं :

(१) सामाजिक समावेश और सक्षमता

दलित

राजस्थान में जोधपुर बाड़मेर जिलों की सात तहसीलों में ३७ गाँवों को समेटती हुई ३८ दिनों की एक स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली का उद्देश्य दलितों को उनके समुदाय की समस्याओं के प्रति जागरूक करना और दलितों को संगठित करना था। ८ मार्च को इस रैली की शुरूआत हुई थी और अंबेडकर दिवस १४ अप्रैल को उसका समापन हुआ था। २५ सदस्यों की एक टुकड़ी ने प्रतिदिन दो गाँवों से सम्पर्क साधा और गीतों, कठपुतली प्रदर्शन तथा नुक्कड़ नाटकों द्वारा दलितों की समस्याओं के बारे में ध्यान आकृष्ट किया था।

'दलित अधिकार अभियान' के नेतृत्व तले चार तहसीलों मंडोर, कल्याणपुर, बालोतरा और भोपालगढ़ में दलित महिला नेताओं हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। उसमें १३६ महिला नेताओं ने भाग लिया था। आगामी त्रैमासिक अवधि में अन्य तीन तहसीलों में ऐसा ही प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के अंत में घरेलू हिंसा संबंधी सवाल उठाने हेतु एक कार्यलक्ष्यी योजना गढ़ी गई थी। दलित नेताओं का हिमायत का कौशल तीव्र बनाने हेतु तहसील स्तर के ८ प्रशिक्षण आयोजित किये गए थे और उनमें २८३ नेताओं ने भाग लिया था।

जल संग्रह विषयक तंत्र तैयार करने के इस तीसरे चरण के दौरान २३ नए तंत्र तैयार किये गए थे। गाँव में सफाई संबंधी सवालों की चर्चा करने हेतु समिति के सदस्यों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। १९६५ और १९७१ के युद्धों के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता मिले, इसकी प्रक्रिया में हमने सक्रिय साथ दिया था।

विकलांगता

अवरोधमुक्त वातावरण के लिए हिमायत के संदर्भ में अहमदाबाद के लॉ गार्डन के संसाधन समूह ने जो सुझाव दिये थे, उन्हे स्वीकार किया गया है और आशिमा ग्रुप ऑव् इंडस्ट्रीज तदनुसार बगीचे में सुधार कर रहा है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑव् पब्लिक एडमिनिस्टेशन (स्पिपा) और विकलांगता कमिश्नर के कार्यालय का अवरोधमुक्त निर्माण कार्य हेतु अन्वेषण हाथ में लिया गया था। सौंपे गए विवरण के आधार पर सुधार करने हेतु सरकार ने अनुदान जारी किया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ उसे अवरोधमुक्त बनाने हेतु बातचीत चालू है। इस मुद्दे पर अनेक प्रकाशन प्रकाशित किये गए हैं। विकलांग लोगों हेतु प्राप्य सेवाओं के बारे में अहमदाबाद, वडोदरा, और साबरकांठा जिले की डाइरेक्टरियों गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित करवाई गई हैं। 'आशा की अभिलाषा' नामक एक चित्र कथा तैयार कराई गई है, जिसमें विकलांग बालिका आशा की कहानी है। इसके अलावा, 'विकलांगता के बारे में समझ : सामाजिक समावेश हेतु वृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन' शीर्षक के साथ का शोध विवरण, 'फ्रीडम ऑव् बीइंग' नामक अवरोध मुक्त वातावरण विषयक एक फिल्म और कच्छ के 'श्री युवा विकलांग मंडल' और साबरकांठा के 'लोक सेवा युवा ट्रस्ट' द्वार तैयार कराये गए दो नुक्कड़ नाटकों आदि का सीडी में प्रकाशन कराया गया है।

भूकंपग्रसितों का पुनर्वास

कच्छ में भचाऊ में घरों को भूकंप प्रूफ बनाने हेतु ५८ परिवारों को सहयोग प्रदान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप वे सरकार से सहायता की शेष राशि प्राप्त कर सकेंगे। टेक्नोलोजी पार्क द्वारा नगर के नागरिकों को ही सुरक्षा के सवाल पर अभिमुख नहीं कराया गया, वरन्

श्रीलंका की एक टुकड़ी को भी उनके वहां ऐसा ही एक पार्क बनवाने हेतु सम्पर्क किया था। बनियारी गाँव और उसके पास के छः समूहों हेतु एक नमूने के बतौर विपत्ति का सामना करने की तैयारी संबंधी योजनाएं बनाई गई हैं।

भचाऊ प्रदेश में महिला समूहों द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं की गुणवत्ता सहेजने हेतु मार्च - २००५ में कौशल आकलन कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। इस प्रक्रिया में लगभग २०० महिलाओं ने भाग लिया था। इसी प्रदेश में अन्य महिला उत्पादक समूहों के साथ 'कच्छ महिला विकास संगठन' द्वारा एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें १९ महिलाओं ने भाग लिया था। इन तीन महीनों के दौरान नमूने के बतौर अनेक वस्तुएं तैयार की गईं भावी थोकबंद उत्पादन के लिए उनका उपयोग किया जाएगा।

(२) नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण शासन

गुजरात में फरवरी-मार्च २००५ के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक माह लंबा आयोजन किया गया। अहमदाबाद और साबरकांठा जिलों में ११ कार्यक्रम आयोजित किये गए। उनमें ३००० से अधिक स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया था। सी.एच.आर.आई, आई.सी.ई.सी.डी और 'महिला स्वराज अभियान' ने शासन संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण हेतु सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित गोलमेज परिषदों के प्रस्तावों की चर्चा करने हेतु एक राज्य स्तरीय विमर्श सभा आयोजित की गई थी। उसमें विधानसभा सदस्यों, पंचायत सदस्यों, केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों सहित ४५० लोगों ने भाग लिया था। इस पर ध्यान केन्द्रित किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को किस तरह मजबूत किया जाए।

राजस्थान में पंचायती चुनावों का तीसरा दौरा जनवरी २००५ में आयोजित हुआ। इस संदर्भ में मतदाता जागृति अभियान का ८ गैर-सरकारी संगठनों के साथ राज्य स्तरीय व्यूहरचना का आयोजन किया गया। राज्य को ७ प्रदेशों में बांटा गया और उनके बीच उत्तरदायित्वों का विभाजन किया गया। उसमें सामूहिक स्तर पर सामग्री तैयार करने का भी समावेश था, ताकि थोकबंद ढंग से उनका वितरण किया जा सके। हमने दो भित्तिचित्र तैयार किये। द्विमासिक 'स्वराज में पंचायतों हेतु उम्मेदवारी पत्र और आरक्षण की सूची हेतु मार्गदर्शन बिंदु प्रकाशित किए गए। दिसंबर २००४ से एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम चल रहा है और फोन पर हैल्पलाइन भी शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस १४ मार्च को मनाया गया था, जिसमें ९ तहसील पंचायतों के लगभग ५०० प्रतिनिधि उपस्थित थे। पंचायत संदर्भ केन्द्रों द्वारा प्रत्येक गाँव में जो संसाधन समूह बनाये गए हैं, उन्हें पंचायत सदस्यों के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्हें विशेष रूप से मध्याह्न भोजन योजना सहित सरकारी योजनाओं पर देखरेख रखने हेतु यह प्रशिक्षण दिया गया था।

शहरी शासन

गुजरात की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। अहमदाबाद और साबरकांठा में जिलों के ५ नगरों में एक मासिक समाचार पत्र 'नगरवाणी' किया जाता है, जिसमें वार्ड बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन नगरों के ७० नागरिक नेताओं को नागरिकता के बारे में अभिमुख किया गया। दो दिवसीय अनेक प्रशिक्षण आयोजित किये गए, जिसमें सामाजिक विकास की समस्याओं के बारे में दृष्टिकोण बनाने पर तथा उन्हें अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां तय करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। ईपीसी और सी.एम.ए.जी. के सहयोग में ठोस कचरा संचालन के विषय में एक कार्यशाला आयोजित की गई। उसमें साणंद, धोलका, बावला, कडी खेड़ब्रह्मा और प्रांतिज नगरों के चयनित नगरसेवकों ने उपस्थिति दी थी। तदुपरांत हम कड़ी नगरपालिका के साथ ठोस कचरा संचालन की व्यूहरचना के विषय में संयुक्त रूप से आयोजन कर रहे हैं। चार नगरपालिकाओं हेतु 'साथ' और सी.एम.ए.जी. के सहयोग से पानी और सफाई विषयक एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। पुणे की 'नेशनल सेंटर फोर एडवोकेसी

स्टडीज' के सहयोग में 'उन्नति' के कार्यकर्ता और सहभागी गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता हेतु बजट विश्लेषण और हिमायत के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

राजस्थान में जोधपुर जिले के बिलाड़ा नगर में बहुत लंबी अवधि के प्रवास के बाद माथे पर मैला ढोने की प्रथा का अंत आया है और समुदाय ने परिस्थिति पर देखरेख रखने की जिम्मेदारी उठाई है। सफाई, पानी व्यवस्था, सड़के और लाइटों जैसी बुनियादी सेवाओं के क्रमांकन हेतु इस नगर का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया विशिष्ट समूह चर्चाओं द्वारा पूरी की गई है। विश्लेषण दर्शाता है कि सफाई की समस्या पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि लोगों द्वारा इसे बहुत ही निम्न क्रमांकन दिया गया था।

'चरखा' की प्रवृत्तियां

इस तीन माह की अवधि में एकेआरएसपी के सहभागी संगठनों के कार्यकर्ताओं, गुजरात युनिवर्सिटी पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों और जीएसएनपी के १५ एचआईवी पोजिटिव लोगों हेतु लेखन कौशल कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। महिला नेताओं के विकासपरक प्रयासों, जैविक खेती, व्यावसायिक रोगों आदि के बारे में सात लेख लिखे गए थे। हर अंग्रेजी महीने के प्रथम शुक्रवार को पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक विकास गोष्ठी आयोजित की जाती है। 'उन्नति' के 'पंचायत जगत' और 'नगरवाणी' तथा एकेआरएसपी के 'खाराश संवाद' को सम्पादकीय सहयोग प्रदान किया गया।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।